मध्यप्रदेश पंचायिका

फरवरी 2013

प्रबंध सम्पादक

विश्वमोहन उपाध्याय

सम्पादक

राजीव तिवारी

भगवान दास भुमरकर

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

नरसिंहपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड की सलामी लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव।

विगत दिनों जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की साधारण सभा की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

विभागीय गतिविधियाँ : पंचायत मंत्री ने नरसिंहपुर में किया ध्वजारोहण 03
पुस्तक चर्चा : प्रदेश में कृषि विकास को दर्शाती दो पुस्तिकाएं 12
आवरण कथा : अधोसंरचना विकास से ही होगी गाँवों की प्रगति 13
पंचायत गजट : पंच-परमेश्वर योजना से प्राप्त राशि का एकीकृत बजट 17
प्रशिक्षण : जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का पद से हटना 23
कानून चर्चा : पंचायत पदधारियों की निरर्हताएं 25
महत्वपूर्ण खबरें : 13.5 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण 29
खास खबरें : आई.टी.आई. को ब्रांड के रूप में विकसित किया जायेगा - मुख्यमंत्री 31
विशेष : ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए कैम्पस 37
उपलब्धि : पंचवन ने दिखाई आजीविका की नई राह 39
दृश्य-परिदृश्य : मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 43
योजना : अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये अनुदान योजना 45
आपकी बात : पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद के अवसर बढ़ायें 47

आयुक्त की कलम से

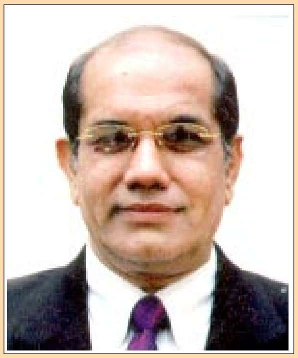

प्रिय पाठकों,

विगत दिनों गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने नरसिंहपुर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। संदेश का वाचन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये शासकीय योजनाओं का लाभ सुलभ करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ई-पंचायत कक्ष बनाने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में सार्वजनिक उपयोग की स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी और शासकीय योजनाओं की लाभ राशि के त्वरित भुगतान के उद्देश्य से सात हजार तीन सौ बहत्तर गाँव के आस-पास अल्ट्रा स्माल बैंक सुविधा उपलब्ध करवायी गई है और प्रदेश के सभी पचास जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हो रहा है। इस खबर को हमने 'विभागीय गतिविधियाँ' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन से सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पक्की सड़कें बन रही हैं। ग्रामीण अंचलों में हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास से गाँव में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसी खबर को हमने 'आवरण कथा' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिये पंच परमेश्वर योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना मद से प्राप्त राशि का एकीकृत बजट बनाना अनिवार्य है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश की इस जानकारी को 'पंचायत गजट' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

'प्रशिक्षण' स्तम्भ में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा अपने कर्तव्यों और अधिकारों के दुरुपयोग करने पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है, यही जानकारी प्रकाशित की जा रही है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन व चयन के लिये निरर्हताएं तय की गई हैं। 'कानून चर्चा' स्तम्भ में इसी जानकारी को प्रकाशित किया गया है। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित स्किल समिट कार्यक्रम में कहा कि स्किल डेवलपमेंट मिशन युवाओं को रोजगार और उद्योगों के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान है। इसी खबर को हमने 'खास खबरें' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से जो हितग्राही लाभान्वित होते हैं, वे दूसरे के लिये प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। उनकी तथा-कथा को 'उपलब्धि' स्तम्भ में स्थान दिया गया है। विगत दिनों राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा मध्यप्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये वर्ष 2011-12 का कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। इसी जानकारी को हमने 'दृश्य परिदृश्य' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। इस माह 'योजना' स्तम्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये अनुदान योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। और अंत में आपके पत्रों को 'आपकी बात' स्तम्भ में प्रकाशित किया गया है। यह पत्र हमें अपनी गल्तियों और योजनाओं का फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो हमें आपके सुझाव का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

पंचायत मंत्री ने नरसिंहपुर में किया ध्वजारोहण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नरसिंहपुर जिले में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री भार्गव ने मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यों को देश भर में सराहा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये संदेश के संपादित अंश यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज के दिन उन सभी शहीदों को अत्यंत श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ नमन करता हूं जिन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की खातिर, आंतरिक सुरक्षा की खातिर और विभिन्न तरह के अपराधों की रोकथाम करने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम आज इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के सुधाकर सिंह जैसे भारत मां के कई लाल देश की सुरक्षा के लिये अपनी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटे। ऐसे ही वीरों की स्मृति में हम प्रदेश की राजधानी में शौर्य स्मारक बना रहे हैं। युवाओं में बहादुरी के इसी जज़्बे को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन ने माँ तुझे प्रणाम योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (लोंगोवाल, तनोत माता का मंदिर, नाथुलादर्रा, अखनूर, लेह, कारगिल, नेफा, समुद्री सीमा आदि) हेतु भेजा जायेगा।

मध्यप्रदेश पुलिस तथा होमगार्ड के हमारे जवानों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने में कर्तव्यनिष्ठा, साहस और तत्परता का परिचय देते हुए अपराधों पर नियंत्रण के साथ दस्यु उन्मूलन, वाम चरमपंथियों पर नियंत्रण और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में सफलता दर्ज की है। जिला प्रशासनों ने साम्प्रदायिक सद्‌भाव और शांति व्यवस्था को बनाये रखा है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिये नवीन महिला अपराध शाखा का गठन किया गया है। पुलिस कर्मियों के लिये इस साल 4 हजार आवास बनाये जा रहे हैं। आबादी के मान से पुलिस बल में वृद्धि के संकल्प की पूर्ति के लिये 21 हजार नये पद स्वीकृत किये गये हैं। पुलिस बल को गंभीर बीमारियों के उपचार की निजी अस्पतालों में सुविधा मुहैया करवाने के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनायी गई है। हमारे पुलिस जवान जन साधारण की सुरक्षा में पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

सुशासन सही मायनों में तभी प्रतिफलित होता है जब शासकीय नीतियों, निर्णयों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारण, क्रियान्वयन तथा निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जनता की भागीदारी तथा आवश्यकताओं को समझने के लिये हमने लगातार समाज के विभिन्न वर्गों की पंचायतें आयोजित की हैं। इन वर्गों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को पंचायतों में हुए संवाद के माध्यम से बड़ी संख्या में नई योजनाएं प्रारंभ की गईं।

पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार की पहल और उनके फलस्वरूप प्राप्त परिणामों को देशभर में एवं केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। भारत सरकार ने विगत वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये इसी माह प्रदेश को 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया है। गत वर्ष प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत रही, जो प्रदेश को देश के राज्यों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा करती है। भारत सरकार ने केंद्रीय अनुदान के अधिकतम उपयोग के लिये भी हमें सम्मानित किया। आज प्रदेश का किसान कृषि कार्यों के लिये शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज ले पा रहा है। इस वर्ष के अंत तक 10 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित होंगे। अगले वित्त वर्ष में 35 लाख किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण दिये जायेंगे। इसमें 540 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान राज्य

नरसिंहपुर में ध्वजारोहण करते हुए पंचायत मंत्री श्री भार्गव।

सरकार देगी। इसी तरह के किसान हितैषी फैसलों से मध्यप्रदेश देश में सबसे ज्यादा 18.91 प्रतिशत की कृषि विकास दर हासिल कर पाया है। पिछले दस वर्ष में प्रदेश के समग्र फसल उत्पादन में 112 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। कृषि केबिनेट के अभिनव प्रयोग से किसानों के हित में तेजी से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

किसानों ने उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में पिछले 3 वर्षो में ढाई गुना और सब्जी उत्पादन में तीन गुना वृद्धि कर दिखाई है। 5 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये हार्टिकल्चर हब स्थापना की नीति भी बनाई गई है।

प्रदेश के कुल 3 लाख 72 हजार हैक्टेयर जल क्षेत्र में से 3 लाख 65 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को मछली पालन में लाने में हम कामयाब हुए हैं। किसान की तर्ज पर मछुआरों को भी जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर फिशरमैन कार्ड देने की योजना को मत्स्य महासंघ के मछुआरों तक विस्तारित किया गया है। प्रदेश और देश के पहले गौ-अभ्यारण्य का भूमि-पूजन शाजापुर जिले के सालगिरा गांव में पिछले माह हुआ है। गोपाल पुरस्कार योजना का विस्तार विकासखंड स्तर तक कर दिया गया है।

प्रदेशवासियों को आज भी वह दिन याद होंगे जब प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा लगभग अंधकार में जीने का आदी हो गया था। आज अटल ज्योति अभियान के जरिए इस वर्ष हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण आबादी को भी 24 घंटे बिजली और कृषि कार्यों के लिये न्यूनतम 8 घंटे बिजली मिलेगी। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार आयेगा अपितु वहां तरह-तरह के लघु और सूक्ष्म उद्यम भी खुल सकेंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के विकास के लिये भी नयी नीति लागू की गई है। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले में निर्माणाधीन है। लघु जल विद्युत, बायोमास, सौर और पवन ऊर्जा की 448 मेगावॉट की वर्तमान क्षमता अगले साल के आखिर में 1600 मेगावॉट होना संभावित है। नीमच, मंदसौर, श्योपुरकलां, राजगढ़ एवं रीवा जिलों में सौर ऊर्जा पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

किसी समय अपनी खस्ताहाल सड़कों के लिये बदनाम हो चुके प्रदेश में आज तीव्र गति से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अकेले चालू साल में प्रदेश में लगभग नौ हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण/उन्नयन हुआ है। इन्हें मिलाकर पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में 90 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण/उन्नयन हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिये हम भारत शासन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री से भी इस विषय में आग्रह किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लाने के लिये महिलाओं को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी अब जल्द ही यह बीती बात हो जायेगी। हमने मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया है। निगम के माध्यम से 27 सतही स्रोत आधारित योजनाओं से 614 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। हमने मुख्यमंत्री पेयजल योजना भी लागू की है जिसके तहत 2000 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये शासकीय योजनाओं का लाभ सुलभ करवाने के उद्देश्य से ई-पंचायत कक्ष बनाने का काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत एक लाख आवासहीन ग्रामीणों के मकान निर्माण के लिये प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना में 84 हजार से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य है। मर्यादा अभियान के पहले चरण में 12 हजार से अधिक ग्रामों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त किया गया है। निर्मल भारत अभियान के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख घरेलू शौचालय बन चुके हैं। आज

नरसिंहपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों से यह संकल्प लेने का आह्वान करता हूं कि हम सब अपनी बहू-बेटियों-बहनों-माँओं की मर्यादा की रक्षा के लिये गांवों को खुले में शौच की बुराई से पूर्णतः मुक्त करेंगे।

रोजगार गांरटी योजना में सार्वजनिक उपयोग की स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी और अन्य शासकीय योजनाओं की लाभ राशि के त्वरित भुगतान के उद्देश्य से 7 हजार 372 गांव के आसपास अल्ट्रा स्मॉल बैंक सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। प्रदेश के सभी 50 जिलों में ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये 11045 ग्राम पंचायतों में 361 करोड़ रुपये की लागत से खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। बेहतर रिकार्ड प्रबंधन एवं सहजता से भूमि संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटरीकरण की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही राजस्व अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रदेश स्थित 708 मजरे-टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जा रही है। राजस्व विभाग की सर्वाधिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिससे इसका सर्वाधिक लाभ हमारे ग्रामीण अंचलों को ही मिलता है। राज्य शासन द्वारा हाल ही में पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय की राशि में वृद्धि की गई है। सरपंचों के मानदेय में पांच गुना तक वृद्धि की गई है जबकि पंचों को पहली बार प्रति बैठक मानदेय दिया जायेगा। सरपंचों को विकास कार्य के लिये राशि स्वीकृत करने के अधिकार दुगने कर दिये गये हैं। अनाबद्ध राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जा रही है।

पिछले नौ वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि नारी के विरुद्ध समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त किया जाए तथा ऐसी योजनाएं भी लागू की जाएं जिससे महिलाओं को पूर्ण सम्मान मिले। इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ 'बेटी बचाओ अभियान' चलाया गया और लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई, जिससे लाभान्वित बालिकाओं की संख्या आज 13 लाख से ऊपर हो गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजनाओं का लाभ भी 2 लाख 29 हजार कन्याओं को मिला है। योजना की सहायता राशि भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गयी है।

राज्य शासन द्वारा कुपोषण के अभिशाप को समाप्त करने के लिये अटल बाल मिशन तथा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से योजनाएं चलाई जा रही हैं। अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र के साथ समुदाय स्तरीय केंद्र भी स्थापित किये जा रहे हैं।

हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध हुई कुछ घटनाओं ने मानवता को शर्मसार किया है। प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के शीघ्र निराकरण के लिये 100 से अधिक लंबित प्रकरण वाले 9 जिलों में एडीजे स्तर के पृथक न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 52 अपर सत्र न्यायालय और अगले दो साल में 86 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की जायेगी। महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये महिला हेल्प-लाइन तथा कॉल सेंटर एक जनवरी 2013 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 1090 नंबर पर महिलाएं पूरे प्रदेश में कहीं से भी शिकायत कर सकती हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों का डाटा बेस बनाया जा रहा है तथा ऐसे अपराधियों के शस्त्र

विभागीय गतिविधियाँ

लायसेंस, ड्राइविंग लायसेंस निलंबित/निरस्त करने तथा इन्हें शासकीय नौकरियों हेतु अयोग्य करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी। राज्य शासन ने जस्टिस वर्मा समिति के सामने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और संबंधित कानूनों को कड़ा बनाने की मांग रखी है। इन मांगों में दुष्कृत्य के कुछ अत्यन्त गंभीर मामलों के लिये मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने की मांग भी शामिल है।

यह वर्ष युवाओं के आदर्श, स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्मवर्ष है। इसे पूरे देश में समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। उनके आदर्श का अनुगमन करते हुये शिक्षा को रोजगार के साथ ही नैतिक संस्कारों के प्रदाय पर भी ध्यान दिया जायेगा। सभी स्तर की शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं, उद्योगों की जरूरतों और बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुखी नये पाठ्यक्रमों को आई.टी.आई. और कौशल विकास केंद्रों में लागू किया गया है। नयी तकनीकी और कौशल विकास नीति लागू की गई है। नौगांव, शहडोल और झाबुआ में नये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रदेश में 113 कौशल विकास केंद्र शुरू किये गये हैं।

इस वर्ष प्रदेश में दो नये विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय और बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची स्थापित किये गये हैं। हिन्दी विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उस भाषा के माध्यम से शिक्षा देगा जिसमें मध्यप्रदेश का विद्यार्थी अपने आपको सहज महसूस करता है। महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। गांव की बेटी योजना का लाभ अब निजी महाविद्यालय की छात्राओं को भी मिल रहा है।

हाल ही में सम्पन्न युवा पंचायत में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा डुप्लिकेट अंक सूची, माईग्रेशन प्रमाण-पत्र, प्रोविजनल डिग्री प्रमाण-पत्र, अंक सूची में सुधार की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया जायेगा। स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना करते हुए स्नातक महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों में सूचना तकनीकी के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जायेगी। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के परिसरों को वाईफाई सुविधा युक्त किया जायेगा। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी या निजी स्कूलों के छात्रों को एक लेपटॉप दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को व्यापार/उद्योग, सेवा केंद्र, यातायात सुविधाएं इत्यादि हेतु रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख) की सीमा तक ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि युवाओं को उपरोक्त ऋण की सुविधा बिना भूमि या भवन को गिरवी रखे, प्राप्त हो सके अर्थात् इन ऋण की गारंटी की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी।50 हजार रुपये की सीमा तक20 प्रतिशत की मार्जिन मनी भी शासन द्वारा दी जायेगी। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण पर5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान भी प्रदाय किया जायेगा, जिससे युवाओं को ऋण चुकाने में सुविधा रहे। मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना के तहत प्रदेश में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिये इंटर्नशिप तथा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी। ट्रेनिंग पूरी होने पर इंजीनियरिंग स्नातकों को राज्य में कांट्रेक्टरशिप के लिये पंजीकरण हेतु अवसर प्राप्त हो सकेंगे जिससे वह अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये औद्योगिक विकास को गति देने के प्रयास रंग ला रहे हैं। इंदौर में 28 से 30 अक्टूबर 2012 को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बहुत सफल रही है। समिट में 3.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए करीब 20 हजार हैक्टेयर सरकारी भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रदेश के 29 जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनी है।

प्रदेश देश के खेल मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। हमने पिछले नौ सालों में खेल एवं युवा कल्याण के बजट में25 गुना से

ज्यादा वृद्धि की है। वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों के लिये मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष स्थापित किया गया है। जूडो, कराटे, ताईक्वांडो, वुशू, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, घुड़सवारी, शूटिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी के खेलों के लिए अकादमियां आरंभ की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि दुगनी की गयी है। भोपाल के औबेदुल्ला खाँ गोल्ड कप हॉकी स्पर्धा को इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया।

सागर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

बालिकाओं और महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाने और आत्म-रक्षा के लिये प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण योजना बनायी जा रही है। अब मुख्यमंत्री युवा ओलंपिक्स का आयोजन ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जायेगा जिसके विजेताओं को कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल भ्रमण पर भेजा जायेगा।

हमारे दर्शन में यह मान्यता रही है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं'। इस मान्यता के अनुरूप राज्य सरकार 'सबके लिये स्वास्थ्य' की अवधारणा पर काम कर रही है। नवम्बर 2012 से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना लागू की गई है। योजना के माध्यम से प्रदेश की सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग के रोगियों को जरूरी दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। शीघ्र ही निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। डेढ़ सौ नयी एम्बुलेंस खरीदने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के 49 हजार 970 ग्राम में आंगनवाड़ी-सह-ग्राम आरोग्य केंद्र गठित हो गये हैं। डायलिसिस यूनिट भी 34 जिला अस्पतालों में स्थापित की जा रही हैं।

राज्य बीमारी सहायता निधि के 1 लाख रुपये तक के प्रकरण अब जिला स्तर और 2 लाख रुपये तक के प्रकरण संभाग स्तर पर स्वीकृत करने की व्यवस्था कर दी गई है। दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना का लाभ करीब पांच लाख लोगों को मिला है। प्रदेश में 148 नये आयुष औषधालय खोले जा रहे हैं।

लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। प्रदेश ने विभिन्न विभागों में पारदर्शिता लाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये ई-गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग, ई-उपार्जन, ई-भुगतान और ई-मेजरमेंट में अभिनव पहल की है। लोकसेवा गारंटी कानून के तहत नागरिकों को समय-सीमा में दी जाने वाली सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान में 52 सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आ गई हैं। आगे भी बहुत सी अन्य सेवाएं इस कानून के दायरे में लाई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस नवाचार की सराहना कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। आज मध्यप्रदेश की तर्ज पर देश के दस से भी अधिक राज्यों ने इस कानून को लागू किया है। इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये 25 सितंबर 2012 से 95 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा का विकासखंड स्तर पर विस्तार किया गया है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिये सभी 23 हजार ग्राम-पंचायत को ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में स्टेट आई.टी. सेंटर का इसी साल शुभारंभ किया गया है।

अन्त में, मैं आप सभी का इस विश्वास के साथ मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिये आह्वान करता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश की प्रगति में विशेष भूमिका निभा सकता है।

हम सब के भीतर वह शक्ति है जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों को नयी गति और दिशा प्रदान कर सकती है और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का कायाकल्प कर सकती है। पिछले एक दशक में इसी शक्ति ने प्रदेश में नव चैतन्य का संचार किया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। आज हमें संकल्प लेना है कि हम अपने देश और प्रदेश के हित के लिये अपनी अंतिम सांस और रक्त की आखिरी बूंद तक इसी शक्ति, इसी निष्ठा और इसी लगन के साथ काम करते रहेंगे।

निःशक्तजन को स्व-रोजगार के जरिये स्वावलम्बी बनायें

निःशक्तजन के समग्र कल्याण के लिये मध्यप्रदेश में अन्य राज्य की तुलना में बेहतर काम हुए हैं। प्रदेश में शासकीय विभागों में 6 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिये आरक्षित किये गये हैं। इस कल्याणकारी फैसले से बड़ी संख्या में निःशक्तजन को शासकीय सेवा में अवसर मिल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पिछले महीनों राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को विशेष नियोक्ता की अतिरिक्त श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विगत दिनों भोपाल हाट में सामाजिक न्याय विभाग के 5 दिवसीय स्पर्श मेले में सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करते हुए यह बातें कहीं।

श्री भार्गव ने कहा कि सभी को शासकीय सेवा में ले पाना संभव नहीं होता। इसलिये निःशक्तजन को शिक्षा के बाद स्वावलम्बी बनाने के प्रयास जारी हैं। इससे वे स्व-रोजगार शुरू कर अपने परिवार के आर्थिक दायित्वों में भी भागीदारी कर रहे हैं।

इसी उद्देश्य से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पहली बार स्पर्श मेले का आयोजन कर निःशक्तजन द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री का प्रदर्शन करने और ऐसी सामग्री के विक्रय के लिये बाजार उपलब्ध करवाने की अनुकरणीय पहल की गई है। मेले के जरिये निःशक्तजन की प्रतिभा को निखारने का मंच भी उपलब्ध कराया गया है। भोपाल के बाद अब राज्य के विभिन्न अँचल में भी स्पर्श मेले लगाने की पहल की जायेगी।

स्पर्श मेले की तृतीय सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री गोपाल भार्गव ने दीप जला कर किया। इस अवसर पर मानसिक रूप से कमजोर तथा निःशक्त बच्चों ने आकर्षक मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। श्री भार्गव ने निःशक्त बच्चों की प्रस्तुतियों को देखा, सराहा और बच्चों को उपहार भी प्रदान किये गये।

श्री भार्गव ने मेले में विभिन्न शासकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों द्वारा तैयार हस्तशिल्प का अवलोकन भी किया। उन्होंने मेले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निःशक्तजन के उपयोग के लिये प्रदर्शित कृत्रिम उपकरण के स्टॉल्स को भी देखा। इस दौरान आयुक्त सामाजिक न्याय श्री व्ही.के. बाथम और संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्री जान किंगसली भी साथ थे। मेले का समापन 31 जनवरी को होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना

अन्य प्रदेशों के ठेकेदारों ने भी दिखाई रुचि

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में बड़ी संख्या में नई सड़कों के निर्माण की मंजूरी केन्द्र से मिली है। वर्ष 2012-13 में अब तक5 हजार किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में वर्तमान में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 10 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा नवीनीकरण के काम भी बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण अंचलों में बन रही सड़कों की गुणवत्ता के साथ ही सड़क निर्माण के कार्य समयावधि में पूरे करने के इस मक़सद से देश के अन्य राज्यों के सड़क निर्माता ठेकेदारों को आमंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में बनाई जा रही सड़कों में निविदाकारों की भागीदारी तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये राज्य के साथ ही अन्य प्रदेशों के ठेकेदारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुए पंचायत मंत्री

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के तहसील मुख्यालय केसली में डी.पी.आई.पी. के तत्वावधान में संपन्न स्व-सहायता समूह सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक करोड़ रुपये के आजीविका ऋण के चेकों का वितरण किया। इसके साथ ही केसली में नवनिर्मित बी.एम.सी. भवन का लोकार्पण किया और स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज करने वाले आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। श्री भार्गव ने 5 ग्रामों में शत-प्रतिशत स्व-सहायता समूहों के बीमाकरण हेतु समिति अध्यक्षों को 500 बीमा पालिसी भी वितरित की।

केसली में संपन्न स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि डी.पी.आई.पी. द्वारा संचालित गतिविधियां सराहनीय हैं जिन्होंने गांव-गांव स्व-सहायता समूह गठित कर उन्हें वित्त पोषित किया है। इन समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर अच्छी खेती और रोजगार के अवसर सुलभ कराये हैं। आपने कहा कि गरीबी उन्मूलन परियोजना को विभाग की ओर से हर संभव मदद दी जायेगी जिसके माध्यम से किसानों और गांवों की खुशहाली में मदद मिली है। पंचायत मंत्री श्री भार्गव व स्थानीय विधायक श्री भानू राणा की मांग के अनुसार एक करोड़ लागत के कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की। इसी क्रम में उन्होंने केसली में पंचायत भवन के लिये 15 लाख, हाट बाजार के लिये 15 लाख, मंगल भवन के लिये 50 लाख रुपये और रैन बसेरा के निर्माण के लिये 20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

समारोह में विधायक श्री भानू राणा ने क्षेत्र विकास की विभिन्न मांगें पूरी करने पंचायत मंत्री से आग्रह किया। साथ ही गौरझामर से सियरमउ तक दो लाइन मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इस संबंध में भी पंचायत मंत्री ने दो लाइन मार्ग बनाने की शासन से शीघ्र स्वीकृति दिलाने के प्रति आश्वस्त किया। इस सम्मेलन में उन्नत लघु कृषक श्री ओंकार पटेल ने ड्रिप एवं पॉलीमाल्चिंग पद्धति से सब्जी उत्पादन करने पर हुये फायदे की जानकारी दी। स्व-सहायता समूहों की सदस्य श्रीमती निशा राजपूत, श्रीमती पुष्पा पटेल व चम्पा रानी पटेल ने स्व-सहायता समूहों के गांव के विकास में भूमिका निभाई है यह जानकारी मंच से दी। पूर्व में डी.पी.आई.पी. के जिला परियोजना प्रबंधक श्री हरीश दुबे व समन्वयक श्री मनोज सक्सेना ने परियोजना की गतिविधियों की जानकारी दी। अंत में आभार प्रदर्शन श्री श्रवण पचौरी ने किया। समारोह अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशासिंह, श्री पूरनसिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुहागरानी सिंह व श्रीमती पुष्पा खेहुरिया समेत अनेक जनप्रतिनिधि और केसली-देवरी व जैसीनगर क्षेत्र के 250 स्व-सहायता समूहों की लगभग 2600 महिला सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

प्रदेश में नये निविदाकारों की सहभागिता बढ़ाने के लिये सड़क मेंटीनेंस के कार्यों की निविदा शर्तों में किये गये बदलावों के बेहतर परिणाम सामने आये हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य से गत दिनों हैदराबाद में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ आंध्रप्रदेश के सहयोग से कान्ट्रेक्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंध्रप्रदेश के निविदाकारों ने भागीदारी की। इस अवसर पर बिल्डर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सिन्हैया, आंध्रप्रदेश राज्य बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पल्ला मोहन रेड्डी तथा हैदराबाद बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बी. सुधाकर सहित निविदाकारों ने मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण की योजनाओं में भागीदारी के प्रति उत्साह दिखाया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी देश के विभिन्न राज्यों में कान्ट्रेक्टर्स मीट का आयोजन किया जा चुका है। अब तक जयपुर तथा उदयपुर (राजस्थान), नागपुर (महाराष्ट्र), इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में कान्ट्रेक्टर्स मीट का आयोजन कर मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण के लिये ठेकेदारों को आमंत्रित करने की पहल की गई है। इसके अलावा प्रदेश में भोपाल और जबलपुर में भी कान्ट्रेक्टर्स मीट का आयोजन हो चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के ठेकेदारों ने भागीदारी की। इस कड़ी में अगला आयोजन ग्वालियर में होने जा रहा है।

ग्रामीण स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की होगी ब्रांडिंग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ग्रामीण स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की ब्रांडिंग किये जाने और मार्केटिंग के लिये योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता बताई है। श्री भार्गव गत दिनों मंत्रालय में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री भार्गव ने कहा कि मनरेगा और मर्यादा अभियान के क्रियान्वयन में भी डीपीआईपी भागीदारी निभाए। उन्होंने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अँचलों में कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिये कोल्ड-स्टोरेज के निर्माण और संचालन का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्व-सहायता समूहों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, वहीं कृषि उत्पादों के संग्रहण की समस्या के निराकरण में भी योगदान मिल सकेगा। श्री भार्गव ने परियोजना क्षेत्र में गतिविधि आधारित क्लस्टर के विकास पर भी जोर दिया।

बैठक में परियोजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण में हुए फैसलों के क्रियान्वयन तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समीक्षा हुई। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा और साधारण सभा के विभागीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और सुझाव दिये।

परियोजना समन्वयक श्री एल.एम. बेलवाल ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। श्री बेलवाल ने बताया कि अब तक 22 हजार 430 स्व-सहायता समूहों और 3,295 ग्राम उत्थान समितियों के माध्यम से 193 करोड़ से अधिक राशि का निवेश हुआ है। इसके साथ ही 3,182 स्व-सहायता समूहों को 12 करोड़ रुपये का बैंक लिंकेज करवाया जा चुका है। समूह सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान करते हुए32 हजार धुआंरहित चूल्हे और 150 ग्राम में सोलर लाइट सिस्टम स्थापित करने तथा 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण कार्य में योगदान दिया गया है। मर्यादा अभियान में समूह के सदस्यों द्वारा अपने घरों में 50 हजार शौचालय का निर्माण किया गया है। सामाजिक सुरक्षा गतिविधियों के तहत 30 हजार महिलाओं का बीमा करवाया गया है। परियोजना के माध्यम से पन्ना जिले में समुदाय आधारित बीमा संगठन की स्थापना की गई है। इसमें 4,949 महिला सदस्य और संगठन के पास करीब 15 लाख की राशि जमा हो चुकी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 500 गाँव में 14 हजार कृषक के साथ 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एसआरआई पद्धति से धान उत्पादन की शुरुआत की गई है। इससे धान उत्पादन में दोगुना वृद्धि हुई है। करीब 200 गाँव में 1,350 कृषक द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति एवं पॉली नर्सरी स्थापित कर उन्नत सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इन किसान की आमदनी में दो से तीन गुना की वृद्धि हुई है। सागर जिले के 9 ग्राम में 225 कृषक द्वारा 300 हैक्टेयर पड़त भूमि तथा अनुपयोगी भूमि में पाम, रोजा और लेमन ग्रास का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही ताजी सब्जियों के विक्रय के लिये परियोजना क्षेत्र के 15 जिलों में 33 आजीविका फ्रेश स्थापित किये गये हैं। करीब 10 हजार दुग्ध उत्पादकों द्वारा प्रतिदिन 40 हजार लीटर दूध का विक्रय किया जा रहा है। मुर्गी उत्पादन और पोल्ट्री के काम में भी 2,500 से अधिक समूह जुड़ चुके हैं। सीधी जिले में फीड प्लांट की स्थापना भी हुई है। गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 1,300 समूह सदस्य अगरबत्ती, वाशिंग पाउडर, डोरमेट, कारपेट, कोल ब्रिकेट और सेनेटरी नेपकिन उत्पादन के काम में जुड़ चुके हैं। परियोजना क्षेत्र में 229 रोजगार मेलों का आयोजन कर 94 हजार 597 युवा को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है तथा 17 हजार 817 युवाओं को विभिन्न शासकीय, अर्द्ध-शासकीय और निजी संस्थाओं में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है।

बैठक में बताया गया कि परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में कार्यरत आजीविका मित्रों को भविष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ेंगे और उन्हें ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया करवाया जायेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनेंगी नयी सड़कें

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,675 किलोमीटर लम्बी 1,521 नयी सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्र ने 1,780 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन सड़कों के बन जाने पर 1,600 बसाहटों का बारहमासी पक्की सड़कों के जरिये विकासखण्ड, तहसील और जिला मुख्यालय से सम्पर्क हो जायेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संधारण कार्यों की केन्द्र ने व्यापक सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सतत् प्रयासों से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिली है। इस वर्ष अब तक 9,551 किलोमीटर लम्बी 2,758 सड़क के निर्माण के लिये 3,653 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य के सुदूर अँचलों में आवागमन सुविधाओं के विकास के लिये सघन प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में मंजूर नयी सड़कों से प्रदेश के 500 से अधिक आबादी वाले 2,025 गाँव, 250 से अधिक आबादी वाले 1,278 गाँव तथा 250 से कम आबादी वाले 340 गाँव बारहमासी सड़कों के जरिये जुड़ जायेंगे। श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 11 हजार 514 करोड़ रुपये की लागत से कुल 51 हजार 344 किलोमीटर लम्बी 11 हजार 241 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों के बन जाने से एक हजार से अधिक आबादी वाले 5,948 गाँव और 500 तक की आबादी वाले 6,420 गाँवों को बारहमासी सड़कों की सम्पर्क सुविधा मिल चुकी है। इस योजना में प्रदेश में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा एडीबी की मदद से प्रदेश में 9,658 किलोमीटर लम्बी 1,991 सड़कों के निर्माण का काम जारी है। इनमें से अब तक7,698 किलोमीटर लम्बी 1,543 सड़कें बन चुकी हैं। केन्द्र ने पिछले माली साल में समेकित कार्य-योजना (आईएपी) में शामिल प्रदेश के 8 जिलों में 1,656.7 किलोमीटर लम्बे 458 सड़क मार्गों को बनाने के लिये 532 करोड़ 82 लाख रुपये की मंजूरी दी थी। वर्तमान में इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इनसे आईएपी जिलों में 996 ग्रामीण बसाहट को आवागमन सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई सड़कों पर96 बड़े पुल के निर्माण की मंजूरी भी मिली है। इनमें से 14 पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के 5 वर्ष पूरे होने पर अगले5 वर्ष के संधारण का काम भी बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है।

बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती हेमलता वाडिवा को श्रेष्ठ कार्यों के लिए गत दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में आयोजित 8वें मनरेगा दिवस समारोह में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया। इस अवसर पर केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश भी उपस्थित थे। यह पुरस्कार देश की 11 ग्राम पंचायत को दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कुल 2136 आबादी वाली साकादेही ग्राम पंचायत ने वर्ष 2011-12 में मनरेगा में14 कपिल धारा कूप निर्माण कर 17 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आठ हितग्राहियों को नंदन फलोद्यान योजना के तहत विभिन्न प्रजाति के 860 पौधे रोपित करने के लिए उपलब्ध करवाये। साथ ही निर्मल नीर पेयजल कूप योजना में25 परिवारों को पेयजल सुविधा भी दी गयी। पंचायत क्षेत्र में दो ग्रामीण क्रीड़ागण निर्मित कर बच्चों को खेलकूद की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी। इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्य से 20 महिलाओं के समूह को जोड़कर उन्हें आजीविका के सृजन में मदद की गयी।

इसके अलावा इस ग्राम पंचायत ने पंच परमेश्वर योजना की सीमेंट-कांक्रीट सड़क का निर्माण कर गाँव में आंतरिक आवागमन सुविधा को आसान बनाया। दो ग्रेवल सड़कों का निर्माण कर तीन गाँव को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान की गयी। पंचायत में 304 परिवार को 17 हजार 131 दिवस का रोजगार इस योजना के जरिये मुहैया करवाया गया।

प्रदेश में कृषि विकास को दर्शाती दो पुस्तिकाएं

पिछले दिनों भोपाल में किसानों की महापंचायत में राज्य शासन ने इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर बनाई गई दो पुस्तिकाओं को जारी किया। प्रदेश में कृषि से जुड़ी यह पुस्तिकाएं प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से तो उत्कृष्ट हैं ही उपयोगिता की दृष्टि से भी अलग-अलग वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली पुस्तिका - ''निरन्तर प्रगति के पथ पर हमारा प्रदेश" - श्रृंखला की कृषि पर केन्द्रित - "किसानों के हक में मध्यप्रदेश" है जिसमें आमुख पर राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड ग्रहण करने के दृश्य सहित कृषि, सहकारिता उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन सहित कृषि कार्य से जुड़े क्षेत्रों की प्रगति की चर्चा है। यह पुस्तिका प्रदेश में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र की प्रगति के प्रति जिज्ञासा रखने वालों, शोधकर्ताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिये बेहद उपयोगी है। दूसरी पुस्तिका - "किसानों को दी जा रही सुविधाएं" उन तमाम योजनाओं का संकलन है जो किसानों की सुविधाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से यह पुस्तिका योजनाओं की बाईबिल कही जाने वाली प्रदेश शासन की पुस्तक - "आगे आयें, लाभ उठायें" की तर्ज पर तैयार एक विषय विशेष की व्याख्या करने वाली पुस्तिका है।

पहली पुस्तिका - "किसानों के हक में मध्यप्रदेश" में भूमिका में किसानों को वे तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई है जो उन्हें खेती को लाभ का धन्धा बनाने में मदद करें। आमुख में दर्शित राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड का ब्यौरा इस पुस्तिका में नहीं है शायद यह फोल्डर वाले फारमेट की सीमा के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। पुस्तिका के आरम्भ में पिछले नौ सालों में प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति और किसानों के लाभ के लिए निर्णयों को दर्शाया गया है फिर चाहे कृषि विकास दर अठारह प्रतिशत होने जैसी उपलब्धि की बात हो अथवा कृषि केबिनेट के गठन की। दूसरे शीर्षक - 'पशुपालन' में पशुधन विकास नीति 2011 सहित पशुधन सम्वर्धन, पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और भ्रूण प्रत्यारोपण संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। इसी पुस्तिका में सहकारिता शीर्षक से शून्य प्रतिशत की दर सहकारी कृषि ऋण, किसान क्रेडिट ऋण, गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लाण्ट के निर्माण और खाद्यान्न के उपार्जन की नीति की चर्चा है।

इसी पुस्तिका में कृषि विकास से जुड़ी उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी क्षेत्र की उपलब्धियों की भी चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से संरक्षित खेती की बात की गई है। सब्जी और मसाला फसलों के उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं का विवरण भी इसमें शामिल है। 'ऊर्जा' शीर्षक से इस पुस्तिका में कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायतों यथा बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति और कृषि पम्पों के लिए लगातार आठ घण्टे बिजली मिलने के लिए फीडर सेपरेशन योजना की चर्चा भी की गई है। इनके अलावा इस पुस्तिका में कृषि कार्य से जुड़े अन्य विषय यथा मत्स्यपालन, सिंचाई संसाधनों में बढ़ोत्तरी और खेती-किसानी में आपदाओं की स्थिति में राहत प्रावधानों के विवरण भी जुटाये गए हैं।

दूसरी पुस्तिका - 'किसानों को दी जा रही सुविधाओं" में कृषि विभाग द्वारा मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं की लम्बी फेहरिस्त है और सभी सुविधाओं के लिए प्रचलित योजनाओं का पूरा विवरण भी है। इस पुस्तिका के आरम्भ में प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड 2012, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2012, सर्वोच्च कृषि विकास दर सम्मान और उच्चतर कृषि उत्पादन के लिए प्रगतिशील किसान का सम्मान प्राप्त करने वाली श्रीमती राधाबाई दुबे (रायसेन) और श्री गंभीर सिंह (होशंगाबाद) का उल्लेख भी किया गया है। इस पुस्तिका में जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के विवरण संकलित किए गए हैं उनमें बीज ग्राम योजना, सतत गन्ना विकास योजना, एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन तथा उर्वरक के संतुलित प्रयोग की योजना सघन कपास विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) तथा अन्नपूर्णा योजना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

इन दोनों पुस्तिकाओं से प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हो रहे सरकारी प्रयत्नों की झलक तो मिलती ही है साथ ही सरकार के संकल्प - 'खेती को लाभ का धन्धा बनाने' की दिशा में किए गए सकारात्मक प्रयासों की प्रतीति भी होती है। जनसम्पर्क विभाग और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रकाशित इन दोनों पुस्तिकाओं में सामग्री तो स्तरीय है ही इन पुस्तिकाओं का मुद्रण भी स्तरीय है।

* किसानों के हक में मध्यप्रदेश, किसानों को दी जा रही सुविधाएं * प्रकाशक - जनसम्पर्क विभाग और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग * मुद्रक - मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

❑ राजा दुबे

अधोसंरचना विकास से ही होगी गाँवों की प्रगति

मध्यप्रदेश में ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन से सुदूर अंचलों तक पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है। अधोसंरचना विकास ग्रामीण विकास की प्राथमिकता है। प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। गाँव में आवागमन के लिये सड़कों के निर्माण से ग्राम विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में पुनः इस बात को दोहराया कि अधोसंरचना विकास ग्रामीण विकास की प्राथमिक शर्त है। गाँव-गाँव तक आवाजाही के लिए सड़कों के निर्माण से ही गाँव का विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। पंचायत मंत्री जी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सतत प्रयासों से हाल ही में केन्द्र ने मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चार हजार छः सौ पिचहत्तर किलोमीटर लम्बी एक हजार पाँच सौ इक्कीस नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। श्री भार्गव ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर केन्द्र सरकार ने एक हजार सात सौ अस्सी करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। इन सड़कों के बन जाने से प्रदेश की एक हजार छः सौ बसाहटें बारहमासी सड़कों के जरिये जनपद, तहसील और जिला मुख्यालय से जुड़ जायेंगी।

ए.डी.बी. से भी मिलेगी वित्तीय सहायता - प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अधोसंरचना विकास के लिए जो बड़ी संख्या में सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बड़ा योगदान है। राज्य का मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ए.डी.बी. की मदद से प्रदेश में नौ हजार छः सौ अट्ठावन किलोमीटर लम्बी एक हजार नौ सौ इक्यानवे सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। इनमें से अब तक सात हजार छः सौ इक्यानवे किलोमीटर लम्बी एक हजार पाँच सौ तिरतालिस सड़कें बन चुकी हैं। इस प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाई जा रही सड़कों में से अस्सी फीसदी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रदेश के पंचायत मंत्री द्वारा यह भी बताया गया है कि एडीबी द्वारा जिन एक हजार नौ सौ इक्यानवे सड़कों का निर्माण किया जा रहा था उनमें से एक हजार पाँच सौ तिरतालिस यानी सतहत्तर प्रतिशत सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

समेकित कार्ययोजना से बनेंगी आठ जिलों में सड़कें - भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की समेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.) के तहत भी प्रत्येक प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल किया जाता है। पिछले माली साल में केन्द्र सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों को 'आई.ए.पी.' में शामिल किया है। इन आठ जिलों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक हजार छः सौ सत्तावन किलोमीटर लम्बाई

और हट जायेगी धारा चालीस

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा चालीस के अनुसार पंचायतों के हिसाब-किताब में थोड़ी बहुत कमी रहने पर पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था है। इस प्रावधान के कारण पंचायतों की लेखा संबंधी भूलों के लिए निर्वाचित सरपंच को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इस सबके कारण सरपंच को कारावास की सजा तक भुगतना पड़ती थी। इस सिर पर लटकी धारा चालीस से सभी सरपंचों को मुक्ति दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लेखापाल की पदस्थापना और उसके साथ ही अधिनियम की धारा चालीस को हटाने का निर्माण लिया है। यह निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा का एक बड़ा कदम कहा जायेगा।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक सड़कों की मंजूरी मिली - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिली है। इस वर्ष अब तक नौ हजार पाँच सौ इक्यावन किलोमीटर लम्बी दो हजार सात सौ अट्ठावन सड़कों के निर्माण के लिए तीन हजार छः सौ त्रेपन करोड़ रुपयों की मंजूरी मिल चुकी है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य के सुदूर अंचलों में आवागमन सुविधाओं के विकास के लिए सघन प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में मंजूर नई सड़कों से प्रदेश के पाँच सौ से अधिक आबादी वाले दो हजार पच्चीस गाँव, दो सौ पचास से अधिक आबादी वाले एक हजार दो सौ अठहत्तर गाँव तथा दो सौ पचास से कम आबादी वाले तीन सौ चालीस गाँव बारहमासी सड़कों के जरिये जुड़ जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई सड़कों पर छियानवे बड़े पुलों के निर्माण की मंजूरी भी मिली है इनमें से चौदह पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

की चार सौ अट्ठावन सड़कें बनाई जायेंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने पाँच सौ बत्तीस करोड़ बयासी लाख रुपयों की मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण पूर्ण हो जाने पर इन आठ आई.ए.पी. जिलों में नौ सौ छियानवे बसाहटों तक आवाजाही आसान हो जाएगी। पंचायत मंत्री जी ने बताया कि आने वाले सालों में केन्द्र सरकार से इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में कुछ और जिलों को शामिल किये जाने की पहल भी मुख्यमंत्री जी ने की है।

पाँच वर्ष पहले बनी सड़कों को भी सुधारा जायेगा - मध्यप्रदेश में ग्राम सड़क योजना के बेहतर अमल से सुदूर अंचलों तक बारहमासी पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है इसके साथ ही योजना में पाँच वर्ष पूर्व बनाई गई सड़कों के संधारण और डामरीकरण का कार्य भी सुचारु रूप से किया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संधारण कार्यों की केन्द्र ने व्यापक सराहना की है। इस योजना में अब तक ग्यारह हजार पाँच सौ चौदह करोड़ रुपये लागत से कुल इक्यावन हजार तीन सौ चवालिस किलोमीटर लम्बी ग्यारह हजार दो सौ इकतालिस सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों के बन जाने से एक हजार से अधिक आबादी वाले पाँच हजार नौ सौ अड़तालिस गाँव और पाँच सौ तक की आबादी वाले छः हजार चार सौ बीस गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा सका है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के पाँच वर्ष पूरे होने पर अगले पाँच वर्ष के संधारण का कार्य भी बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है। इस उद्देश्य से अब तक दस हजार तीन सौ किलोमीटर लम्बी सड़कों के अगले पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए एजेन्सी का निर्धारण कर संधारण का काम करवाया जा रहा है। इन कार्यों के अंतर्गत चार हजार छः सौ सत्रह किलोमीटर पुरानी सड़कों पर फिर से डामरीकरण का काम करवाया गया है।

साकादेही ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती हेमलता वाडिया को दो फरवरी को आठवें मनरेगा दिवस समारोह में विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मनरेगा पुरस्कार से सम्मानित किया। साकादेही देश की उन ग्यारह पंचायतों में से एक है जिसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। साकादेही पंचायत को यह राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2011-12 में मनरेगा के अंतर्गत कपिलधारा कूप निर्माण, नन्दन फल उद्यान योजना के अंतर्गत फलों के पौधरोपण, निर्मल नीर पेयजल कूप, गाँवों में खेल के मैदान के निर्माण, महिला स्व सहायता समूहों को पौधरोपण कार्य से जोड़ने और पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत गाँवों में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया है। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि इस पंचायत में तीन सौ चार परिवारों को सत्रह हजार एक सौ इकत्तीस दिनों का रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सरपंच को बधाई दी है।

अपने संसाधनों से लागू की गई हैं नवाचारी योजनाएं - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने पिछले दिनों पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत में बताया कि केन्द्र सरकार पर निर्भर न रहते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से नवाचारी योजनाएं लागू की हैं। इस साल मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत डेढ़ लाख ग्रामीण आवास बनाये जायेंगे और इतने ही आवास अगले वर्ष भी बनाये जायेंगे। श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश समूचे देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पंच-परमेश्वर योजना में गाँव की आंतरिक अधोसंरचना को सुधारने की पहल की गई है। प्रदेश में पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत गाँवों में नालियों सहित आंतरिक मार्गों के निर्माण, आँगनवाड़ी भवन विहीन गाँवों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, ई-पंचायत कक्ष का निर्माण, गाँव की आन्तरिक सड़कों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण, कियोस्क के निर्माण और परिसम्पत्तियों और हैण्डपम्प के संधारण के माध्यम से अधोसंरचना विकास का एक नया अध्याय आरम्भ किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में इन्दिरा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र चौरासी हजार आवासों की मंजूरी के कारण ही मुख्यमंत्री आवास निगम का गठन किया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जायेगा - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से आमने सामने बातचीत करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया है कि जब तक प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील नहीं बनाया जाएगा तब तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास और स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सपना साकार नहीं हो सकेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए उन्होंने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से आव्हान किया है कि वे गाँव में युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में यह भी कहा कि ग्रामीणों को कृषि से जुड़े रोजगार में जुटने के लिए विशेष प्रोत्साहित किया जाये।

पंचायतों की है अपनी वेबसाइट

अब ग्राम पंचायतें भी संचार क्रांति की दिशा में बड़ी-बड़ी कारपोरेट संस्थाओं से हमकदम हो गई हैं। गत दिनों पंचायतों के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की सरदारनगर ग्राम पंचायत, खण्डवा जिले की जसवाड़ी ग्राम पंचायत और झाबुआ जिले की मोहनपुरा ग्राम पंचायत की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री ने यह जानकारी दी कि सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को अपने-अपने जिले की ग्राम पंचायतों को अभियान चलाकर वेबसाइट बनाने के लिए प्रेरित करें। इस दिशा में प्रदेश में ई-पंचायत कक्ष भी जल्दी बनाये जाने के निर्देश दिये गए जिससे पंचायतें ई-फ्रेण्डली हो सकें।

पंचायतों को आधुनिक बनाया जायेगा - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह घोषणा भी हाल ही में की कि अब ई-पंचायत कक्ष सहित पंचायत भवनों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा तथा उसमें वे सभी अधुनातन संचार सुविधाएं होंगी जो ग्राम पंचायतों और राजधानी स्थित विभाग प्रमुख कार्यालयों और मंत्रालय को जोड़ सकें । श्री भार्गव ने बताया कि इसी परिप्रेक्ष्य में पंचायत भवन निर्माण की लागत पन्द्रह लाख रुपये कर दी गई है और अनाबद्ध राशि भी जो पहले दस प्रतिशत थी उसे बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत कर दी गई है। श्री भार्गव ने पिछले दिनों पंचायतों के महासम्मेलन में दिए गए इस सुझाव पर कि केन्द्र की ग्रामीण विकास की राशि का चालीस प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से खर्च किये जाने पर भी गंभीरता से विचार होगा।

मनरेगा ने पंचायतों में अधोसंरचना विकास को गति दी है - पंचायत मंत्री ने प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाने के साथ अधोसंरचना विकास की दिशा में भी काफी काम किया है। श्री भार्गव ने पंचायत प्रतिनिधियों की इस माँग पर भी विचार करने की सहमति दी कि मनरेगा में स्वीकृत कार्यों की राशि एक सप्ताह में जारी हो जानी चाहिए। मनरेगा में रोजगार के अवसर के सृजन के साथ ही जो परिसम्पत्तियाँ बन रही हैं उस पर भी पंचायत मंत्री ने संतोष व्यक्त किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने पिछले दिनों

(शेष अगले पृष्ठ पर)

स्पर्श अभियान को ई-गवर्नेंस का गोल्ड अवार्ड

मध्यप्रदेश को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में गत दिनों एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया। यह नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मध्यप्रदेश को निःशक्तजन की बेहतरी के लिए चलाये गये स्पर्श अभियान के लिए मिला है। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री वी.के. बाथम और एन.आई.सी. के डायरेक्टर विनायक राव ने गत दिनों जयपुर में 16वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री श्री वी. नारायण सामी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्यप्रदेश को यह प्रतिष्ठित अवार्ड "स्पर्श अभियान" के लिए दिया गया। स्पर्श अभियान निःशक्तजन, वृद्धजन और बेसहारा लोगों की सहायता, पुनर्वास और सशक्तीकरण का विशेष कार्यक्रम है। मध्यप्रदेश के अपने ढंग के इस अनूठे कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की 'फोकस सेक्टर श्रेणी' में गोल्ड अवार्ड दिया गया। अवार्ड मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय संचालनालय और नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर, मध्यप्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

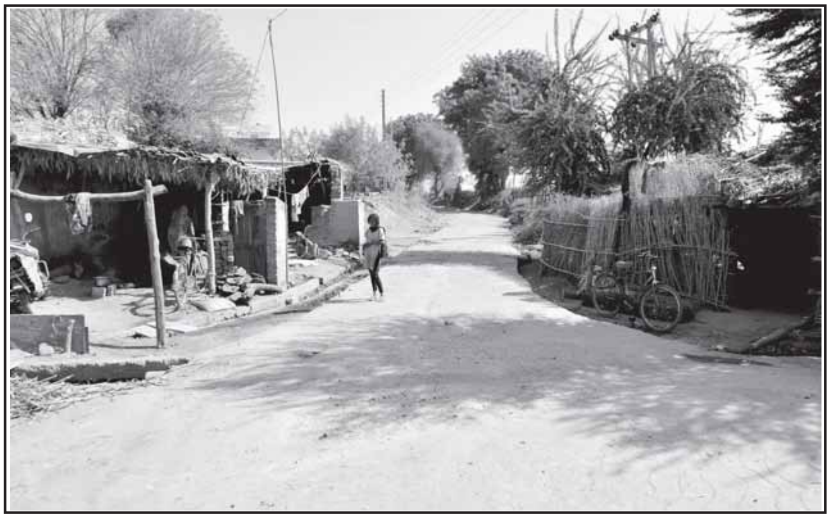

यह जानकारी दी कि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में अट्ठावन प्रतिशत परिसम्पत्तियों का निर्माण पूरे देश में एक नया कीर्तिमान है और किसी भी अन्य प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय अनिमयितताओं की रोकथाम तथा जाँच के प्रावधान की जानकारी भी पंचायत मंत्री जी ने दी।

स्व सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग होगी - पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन को भी बड़े ब्राण्ड के उत्पादन से प्रतिस्पर्द्धा में लाया जा सकेगा। श्री भार्गव डी.पी.आई.पी. की साधारण सभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के संग्रहण के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को भी अधोसंरचना विकास में गिना जाये। गाँवों में बनने वाले ऐसे कोल्ड स्टोरेज से स्व सहायता समूहों की वित्तीय स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही कृषि उत्पादों के भण्डारण की एक बड़ी समस्या भी हल हो सकेगी।

अधोसंरचना विकास के लिए संसाधन जुटाये जायें - गत दिनों विभागीय समीक्षा बैठकों में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि ग्रामों में अधोसंरचना विकास के लिए पंच-परमेश्वर योजना के अलावा दीगर योजनाओं से भी वित्तीय संसाधन जुटाये जायें। ग्रामीण विकास के लिए अधोसंरचना विकास की अनिवार्यता के सन्दर्भ में यह तथ्य सामने लाया गया है। अधोसंरचना विकास के लिए पंचायतों को केन्द्र व राज्य सरकार से और अधिक राशि दिलाये जाने की बात भी कही गई है।

❑ सचिन शुक्ला

पंच-परमेश्वर योजना से प्राप्त राशि का एकीकृत बजट

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए पंच-परमेश्वर योजना के तहत राशि उपलब्ध करवायी जाती है। ग्राम पंचायतों को पंच-परमेश्वर योजना मद से प्राप्त राशि का एकीकृत बजट बनाना अनिवार्य है। इस संबंध में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./पं.रा./वित्त-योजना/2013/780 **भोपाल, दिनांक 28.01.2013**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय - पंचायत राज की संचालित योजनाओं में प्राप्त राशि की समग्र रूप से एकीकृत कार्ययोजना/बजट बनाना।

संदर्भ - 1. परिपत्र क्र./पं.रा./वित्त-योजना/11/119/9906, दिनांक 11.11.11।
2. परिपत्र क्र./पं.रा./वित्त-योजना/2013/119/दिनांक 28.12.2011।
3. परिपत्र क्र.-एफ-2-5/2012/22/पं-1, दिनांक 17.05.2012।
4. परिपत्र क्र. 12750/22/वि-7/एनबीए/2012, दिनांक 27.09.2012।

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें, समग्र रूप से एकीकृत कार्ययोजना/बजट बनाकर राशि उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पंच-परमेश्वर के नाम से प्रारंभ की गई है, जिसके ज्ञापन दिनांक 11.11.2011 के पैरा क्रमांक4 के बिन्दु क्रमांक 4 में इस योजना में वर्ष भर में प्राप्त होने वाली कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के निर्देशों को संशोधित करते हुये अब उक्त कार्यों हेतु 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत राशि का उपयोग एक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतें शासन से प्राप्त कुल अनुदान राशि से व्यय कर सकेंगी।

2. इसी प्रकार पंच परमेश्वर योजना में प्राप्त होने वाली राशि से पूर्व में दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त 5 हजार से अधिक आबादी वाली, हाट बाजार लगने वाली ग्राम पंचायतों में उपयुक्त स्थान पर लघु दुकानों का निर्माण जिसमें ग्राम के बेरोजगार केशशिल्पी, धोबी, मिस्त्री, बढ़ई एवं अन्य उपयुक्त बेरोजगार ग्रामीणजन को उनके स्वरोजगार के लिये दुकानों का निर्माण करा सकेंगे। बजट की उपलब्धता होने पर बीआरजीएफ एवं आईएपी योजना की कार्ययोजना में इन कार्यों को शामिल कर पूर्ण कराया जा सकता है।

3. पंच-परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये गये बजट अनुदान में श्रममूलक कार्य मनर`गा योजना से अभिसरण (convergence) से कराने के निर्देश संदर्भित ज्ञापन में दिये गये हैं। समय-समय पर प्राप्त जानकारी के आधार पर कई जिलों में मनरेगा योजना के अभिसरण (convergence) से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण पंच-परमेश्वर योजना में आवंटित की गई राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया गया है। जिन जिलों में मनरेगा योजना की राशि प्राप्त होने में कठिनाई होने पर विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायतें पंच-परमेश्वर योजना की बजट राशि का उपयोग निर्धारित किये गये निर्माण कार्यों को कराने में व्यय कर सकेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. राजेश राजौरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायत के अधीन हो विकासखण्ड संसाधन केन्द्र का उपयोग

मध्यप्रदेश में प्रत्येक जनपद पंचायत में विकासखण्ड संसाधन केन्द्र निर्माण बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) से कराया गया था। इन भवनों का उपयोग विकासखण्ड स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रशिक्षण के लिये किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन भवनों का अन्यत्र प्रयोग नहीं कराया जायेगा। इस संबंध में जारी आदेश का प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 11037/पं.राज/12 **भोपाल, दिनांक 01.11.2012**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डौरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, मण्डला, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, मध्यप्रदेश।

विषय - बीआरजीएफ योजनांतर्गत निर्मित विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर) के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ - विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 16292 दिनांक 28.11.2008, पत्र क्र. 7878 दिनांक 16.07.2009 एवं पत्र क्र. 17575 दिनांक 27.11.2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपको विदित है कि समस्त विकासखण्डों में ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर निर्माण बीआरजीएफ की राशि से किया गया है। इन भवनों में विकासखण्ड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण तथा एसजीएसवाय एवं अन्य ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया जाना है। शासन के संज्ञान में लाया गया कि अलीराजपुर जिला अंतर्गत निर्मित बीआरसी भवन का उपयोग कलेक्टर, कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं है। विभाग की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिये जा रहे हैं कि इन भवनों में किसी भी विभाग या जनपद का कार्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया गया है तो उक्त बीआरसी भवन तत्काल खाली कराया जाकर इसका उपयोग केवल प्रशिक्षण कार्य हेतु ही किया जाए।

2. जैसा कि आपको विदित है कि इन ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर का उपयोग मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिये मुख्य रूप से किया जाना है। साथ ही इसका उपयोग एसजीएसवाय एवं विभागीय योजनाओं के प्रशिक्षण हेतु किया जा सकता है एवं शेष अवधि जिसमें भवन खाली हो अन्य प्रशिक्षणों हेतु भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रशिक्षणों हेतु भवन केवल संबंधित प्रशिक्षण की अवधि के लिये ही दिया जावे एवं उक्त प्रशिक्षण की अवधि का भवन का किराया भी संबंधित संस्था से लिया जावे, ताकि यह राशि दिशा निर्देशानुसार भवन के रखरखाव हेतु उपयोग लिया जावे।

3. बीआरसी भवनों का आधिपत्य जनपद पंचायत अंतर्गत ही रहेगा। उक्त भवन का हस्तांतरण किसी भी अन्य विभाग को नहीं किया जा सकेगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले अंतर्गत निर्मित ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर का आधिपत्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का ही रहे एवं इन भवनों का विद्युतीकरण, साफ-सफाई, रखरखाव एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

4. एक बार पुनः दोहराया जा रहा है कि इन भवनों का उपयोग कार्यालय के रूप में नहीं किया जावे ना ही इन भवनों का हस्तांतरण अन्य विभाग को किया जावे और इन केन्द्रों को पंचायत राज संस्था के प्रशिक्षण के रूप में मान्यता दी जावे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

हस्ता/-
संयुक्त संचालक (वित्त)
एवं नोडल अधिकारी (बीआरजीएफ)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत प्रतितोषण नियम 2012

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता और गति लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में शिकायत प्रतितोषण नियम लागू किया गया है। जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर प्राप्त हुई शिकायतों का निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. 1624-1037-2012-बाईस-पं.-2.-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार निम्नलिखित नियम, जिनको कि मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 अगस्त, 2012 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत प्रतितोषण) नियम, 2012** है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम मुख्य रूप से खण्ड (ब्लाक) स्तर पर प्राप्त हुई शिकायतों के प्रतितोषण हेतु लागू होंगे।

3. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42);

(ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम 7 के उपनियम (2) तथा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकृत है;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी;

(ङ) "शिकायत प्रतितोषण अधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी;

(च) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी;

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनको क्रमशः दिए गए हैं।

4. शिकायत प्रतितोषण अधिकारी का पदनाम - कार्यक्रम अधिकारी, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी होगा।

5. शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया - (1) प्रत्येक शिकायत संबंधित शिकायत प्रतितोषण अधिकारी को या तो लिखित में या मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(2) किसी भी व्यक्ति की शिकायतें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएंगी।

(3) शिकायतों के प्रस्तुतिकरण को सुकर बनाने के लिए शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर एक शिकायत पेटी लगाई जाएगी।

(4) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी प्रत्येक शिकायत, आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा विहित प्ररूप में रखे गए रजिस्टर में दर्ज करेगा या करवाएगा और शिकायत सम्यकरूप से अभिस्वीकृत करेगा और शिकायतकर्ता को उसकी पावती शिकायत क्रमांक और तारीख सहित जारी करेगा।

6. शिकायत के निपटारे हेतु प्रक्रिया - (1) कार्यक्रम अधिकारी जो शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, अपनी अधिकारिता के भीतर प्राप्त की गई शिकायतों का निपटारा करेगा। उस दशा में, जहां शिकायत स्वयं कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध हैं अथवा शिकायत का विषय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाना है, तो कार्यक्रम अधिकारी शिकायतों को संबंधित प्राधिकारी को सात दिन के भीतर निपटारे हेतु अग्रेषित करेगा।

(2) ऐसी समस्त शिकायतें जो जांच के पश्चात् निराधार पाई जाती हैं, यथासंभव शीघ्र या उनकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएंगी।

(3) ऐसी शिकायतें जो जांच के पश्चात् सत्य अथवा आंशिक रूप से सत्य पायी जाती हैं, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी/व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई प्रस्तावित करेगा। ऐसी शिकायतें यथासंभव शीघ्र या उनकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निपटाई जाएंगी।

(4) शिकायत प्रतितोषण अधिकारी, लिखित में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को युक्तियुक्त आधारों को उल्लिखित करते हुए उपनियम (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि में वृद्धि करने हेतु आवेदन कर सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आधार के परीक्षण करने के पश्चात् प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर कालावधि बढ़ाने का विनिश्चय करेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिकायत के निपटारे हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन का अतिरिक्त समय बढ़ा सकेगा।

(5) शिकायत के अन्वेषण के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

(6) शिकायतकर्ता को, शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के कार्यालय द्वारा लिखित में संसूचित किया जाएगा। जब किसी शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है तो शिकायत के निपटारे की तारीख एवं उसकी प्रकृति शिकायतकर्ता को संसूचित की जाएगी। ये ब्यौरे इंटरनेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) ऐसी कोई शिकायत, उसकी विषय वस्तु जो किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष या राज्य शासन के किसी उच्च प्राधिकारी के समक्ष, अपील, पुनरीक्षण, संदर्भ या याचिका के रूप में लंबित हो या शिकायत की जांच के विचारण हेतु लंबित हो या शिकायत का पूर्व में विचारण किया गया हो तो, ऐसी कोई शिकायत दर्ज या पंजीकृत नहीं की जाएगी और ऐसी पंजीकृत शिकायतों पर आगामी और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(8) यदि कोई शिकायत पुनः उन्हीं तथ्यों पर प्राप्त होती है जो कि पूर्व में प्रस्तुत की गई शिकायत में पहले से ही उल्लिखित हैं तो ऐसी शिकायत पहले से ही प्राप्त शिकायत में समामेलित की जा सकेगी तथा शिकायतों के निपटारे की कार्रवाई निपटाई गई शिकायतों के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(9) राज्य सरकार, आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, स्वप्रेरणा से, किसी अन्य स्रोत से अथवा भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त शिकायत के मामले की जांच कर सकेंगे।

(10) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी अथवा उपनियम (9) के अधीन मामले की जांच हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी से इन नियमों के अधीन की जा रही किसी भी शिकायत के मामले की जांच से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर सकेगा तथा शिकायत के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा।

(11) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय अथवा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संबंधी समस्त शिकायतें, आगामी कार्रवाई हेतु संभागायुक्तों को अग्रेषित की जाएंगी। संभागायुक्त स्वयं शिकायत का निराकरण करेगा यदि ऐसी शिकायत उसके स्तर से निपटारे योग्य हो। शिकायत की प्रकृति के आधार पर संभागीय आयुक्त इसे कलक्टर को अथवा कलक्टर के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी को जांच एवं आगामी कार्रवाई हेतु अग्रेषित करेगा। उन शिकायतों पर, जहां जांच एवं आगामी कार्रवाई संभागायुक्त के स्तर से की जानी है, तो संभागायुक्त अपने स्तर पर जांच करके या जांच करवाकर मामले से संबंधित एक टीप मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को अग्रेषित करेगा। शिकायतों के विशेष मामलों में प्रशासकीय विभाग जांच के लिये दल भेजेगा।

7. अपील का अधिकार - (1) यदि कोई शिकायतकर्ता, शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकेगा।

(2) शिकायत प्रतितोषण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) अपील का ज्ञापन इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपील का निपटारा यथासंभव एक मास के भीतर करेगा।

(6) अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम एवं सभी पक्षों के लिये बंधनकारी होगा।

8. अपील की कालावधि - (1) नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको कि शिकायत प्रतितोषण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति, व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हो, तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हो, पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी उपनियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि नियत कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

9. शिकायतों की मानीटरिंग का तरीका - (1) शिकायतों के निपटारे की मानीटरिंग प्रत्येक मास नियमित रूप से अगले उच्च स्तर पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक मास प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों पर मासिक प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारियों से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से जिला कार्यक्रम समन्वयक को और जिला कार्यक्रम समन्वयक से संभागायुक्त और संभागायुक्त से राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

10. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण - जिला कार्यक्रम समन्वयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शिकायत प्रतितोषण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के संबंध में जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिये आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी।

11. वैकल्पिक प्राधिकारी - राज्य सरकार, आदेश द्वारा, एक वैकल्पिक शिकायत प्रतितोषण प्राधिकारी पदाभिहित कर सकेगी।

12. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति - (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन संबंधित अपचारी व्यक्ति को दोषसिद्धि पर दण्डित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जुर्माने की शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी :-

(क) शासकीय सेवकों के मामले में - सेवा नियमों के अधीन लघु शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।

(ख) संविदा कर्मचारी के मामले में - संविदा नियमों या शर्तों के अनुसार।

(ग) पंचायत प्रतिनिधि/कर्मचारी के मामले में - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अनुसार।

(3) वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई करने हेतु संचालक, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश शासन को सूचित किया जाएगा।

(4) शास्ति की रकम जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी के खाते में जमा की जाएगी। शास्ति की रकम अपील में दोषमुक्ति पर प्रतिदाय की जाएगी।

(5) अपचारी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25 के अधीन की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित अधिनियम या नियम के अनुसार अनुशासनात्मक या दण्डात्मक अथवा दोनों कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी।

13. प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना - प्राप्त शिकायतों के निपटारों का वार्षिक प्रतिवेदन शिकायत प्रतितोषण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत के समक्ष सम्मिलन में रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव

अपील का ज्ञापन

[नियम 7 (4) देखिए]

प्रति,

....

....

....

(1)	अपीलार्थी का नाम	:	....
(2)	पिता का नाम	:	....
(3)	आयु	:	....
(4)	पता	:	....
(5)	आवेदन-पत्र का विषय जो निरस्त किए गए	:	....
(6)	प्राधिकारी का नाम एवं पदाभिधान जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई	:	....
(7)	अपीलार्थी को आदेश की सूचना प्राप्ति का दिनांक	:	....
(8)	चाहे गए प्रतितोष का विवरण	:	....

स्थान :
दिनांक :

अपीलार्थी या सम्यक रूप से
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव

जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का पद से हटना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। यदि वह प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों और अधिकारों का दुरुपयोग करता है या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाया जा सकता है।

जनपद पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने के तरीके

पंचायत राज अधिनियम में पंचायत प्रतिनिधियों (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) को पद से हटाने के तरीके हैं -

- अविश्वास प्रस्ताव (धारा 28)
- पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन (धारा-39)
- पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा-40)
- पंचायत पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र (धारा-37)

अविश्वास प्रस्ताव

अगर जनपद पंचायत के सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या जनपद पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने व पास करने का तरीका इस प्रकार है -

- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान के लिए अलग से विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
- इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
- इस बैठक की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे इसके लिए विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चर्चा में भाग लेंगे और अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही अवैध मानी जाएगी।
- अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में तीन-चौथाई सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें। अगर पंचायत में 12 सदस्य हैं और यह सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित हैं। अब यह अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन12 में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।
- अविश्वास प्रस्ताव पास होने के तुरन्त बाद से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जायेगा।

अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है -

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 के अनुसार

- जिस दिन कोई आदमी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर काम करना शुरू करेगा उसके ढाई साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ छह महीने बचे हैं तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- अगर पंचायत में एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है और उस को पेश हुए एक साल का समय नहीं बीता तो भी उस पदाधिकारी के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता यानि अगला अविश्वास प्रस्ताव साल भर बाद ही लाया जा सकता है।

- अगर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया तो वह कलेक्टर के यहाँ प्रस्ताव पास होने के सात दिन के भीतर अपील करेंगे और कलेक्टर अगले 30 दिन में उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

1. किसी जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में विहित अधिकारी को देना :-

प्रारूप
अविश्वास की सूचना

प्रति,
विहित प्राधिकारी
....
हम जनपद पंचायत .... के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का आशय रखते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के आधार निम्नानुसार हैं :-
1. ....
2. ....
3. ....

स्थान ....
तारीख .... हस्ताक्षर

- सूचना पत्र पर जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास लाना है तो अलग-अलग प्रारूपों में सूचना देनी पड़ेगी।

2. विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र देगा।
3. विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बैठक का दिन, समय तय करेगा और पंचायत सचिव के माध्यम से बैठक की सूचना सभी सदस्यों को सात दिवस पूर्व देगा।
4. विहित अधिकारी द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिये कलेक्टर की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में करेगा।
5. विहित अधिकारी द्वारा जिले के कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बैठक से तीन दिवस पूर्व जानकारी देना पड़ेगी।
6. अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना।
7. अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखेगा और जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे भी बैठक में अपना पक्ष रखने का मौका देना।
8. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना (सभी सदस्य अपने-अपने विचार रख सकते हैं।)
9. प्रस्ताव पर मतदान के लिये विहित अधिकारी उपस्थित सदस्यों को अपने हस्ताक्षरित मतपत्र देगा और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाला उस मतपत्र पर (✓) सही का चिन्ह और प्रस्ताव पक्ष के विरोध में मतदान करने वाले उस पर (x) गलत का चिन्ह लगाकर, मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी के सामने रखी मतपेटी में डालेगा।
10. मतदान हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिये मतदान की तारीख के दिन पंचायत के कुल सदस्यों में से बैठक में उपस्थित तीन-चौथाई सदस्य जिनकी संख्या मतदान की तारीख को पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई से ज्यादा है, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि -

बैठक में उपस्थित तीन-चौथाई सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और उनकी संख्या पंचायत के कुल सदस्यों के दो-तिहाई से कम है तब अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

11. पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या खारिज होने की घोषणा करेगा।
12. पंचायत की बैठक पुस्तिका में अविश्वास प्रस्ताव की जारी कार्यवाही को दर्ज कर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यवाही पुस्तिका में निम्न जानकारी दर्ज की जायेगी :-

- उपस्थित पदाधिकारियों के नाम
- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
- प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों की संख्या।

(शेष आगामी अंक में)

पंचायत पदधारियों की निरर्हताएं

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन व चयन के लिए निरर्हताएँ तय की गई हैं जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधि साफ सुधरी छवि वाला हो तथा जो किसी प्रतिबंधात्मक कार्यों में दोषी न हो।

पंचायत अच्छी तरह काम कर सके इसके लिये यह आवश्यक है कि पंचायत के पदधारी साफ-सुधरी छवि वाले हों। अपराधी प्रकृति, पंचायत में अपने आर्थिक हित रखने वाले, पंचायत के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। पंचायती राज व्यवस्था में शुचिता बनाये रखने के लिये जरूरी है जहां एक ओर ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन में भाग लेने से रोका जाये दूसरी ओर निर्वाचन के बाद पदधारी यदि इस प्रकार की गतिविधियों में निर्लिप्त हो जाता है, उसे हटाया जाये।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 36 में इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिये कानूनी प्रावधान किये गये हैं। इसके लिये निरर्हता का प्रावधान किया है।

2. पंचायत निर्वाचन के लिये उम्मीदवार की निरर्हताएं :

कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के, उसके पूर्व या उसके पश्चात् :-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या स्वापक पदार्थों (नारकोटिक्स) के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के या राज्य में उस समय लागू किसी कानून के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, ऐसे दोषसिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या इससे कम वह कालावधि जो राज्य सरकार ने किसी विशेष प्रकरण में अनुज्ञात की हो, पूरी न हुई हो, या

(2) जो किसी अपराध में कम से कम 6 माह के कारागार के लिये दण्डित किया गया हो और उसे छोड़े जाने के बाद से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य शासन ने किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात की हो, व्यतीत न हो चुकी हो, या

(3) जो किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो,

(4) जिसने दिवालिया घोषित होने हेतु न्यायालय में आवेदन किया हो या वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या

(5) जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसायटी की या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, या इनके नियंत्रणाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में हो,

परन्तु किसी व्यक्ति को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन पटेल नियुक्त किए जाने पर निरर्हित हुआ नहीं समझा जायेगा, या

(6) जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसायटी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा से हटा दिया गया हो, या

(7) जो पंचायत के साथ या पंचायत के द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता हो, या

कोई व्यक्ति इस कारण निरर्हित नहीं समझा जायेगा कि किसी संयुक्त स्टाक कंपनी (Joing Stock Company) में उसका कोई अंश है या मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन किसी संगम में या किसी सहकारी सोसायटी में जो पंचायत

के साथ संविदा करेगी या उसकी ओर से नियोजित किया जायेगा, उसका कोई अंश या हित है, या

(8) जो ऐसे किसी समाचार पत्र में अंश या हित रखता हो जिसमें पंचायत के कार्यकलापों से संबंधित विज्ञापन दिये जाते हों, या

(9) जो पंचायत की ओर से या उसके द्वारा दिये गये किसी उधार से संबंधित हो या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई डिबेन्चर/ऋण प्रमाण-पत्र धारण करता हो, या

(10) जो पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित किया गया हो, या

(11) जो संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या

(12) जिसने किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छापूर्वक नागरिकता ग्रहण कर ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति की कोई अभिस्वीकृति दे दी हो, या

(13) जो उस समय लागू किसी कानून के द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिये निर्रहित हो,

परन्तु कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से कम आयु के आधार पर निर्रहित नहीं समझा जायेगा जबकि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या

(14) जो राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये कानून या उसके अधीन निर्रहित है। (धारा 36 की उपधारा (1))।

3. निर्वाचन के बाद पदधारी की निरर्हताओं में ग्रसिता -

(क) पूर्ववर्ती कंडिका में वर्णित निरर्हताओं से ग्रसित हो जाता है। ऐसे निरर्हता जो हटाई नहीं जा सकती है या ऐसी जो हटायी जाने योग्य होते हुये भी नहीं हटायी गयी है।

(ख) पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लेने पर।

(ग) पंचायत की अनुमति के बिना पंचायत की या पंचायत की किसी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर या छह माह में हुयी पंचायत की बैठकों में से आधी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

किसी पदधारी ने बैठकों में अनुपस्थित रहने की पंचायत से अनुमति हेतु आवेदन दिया है और आवेदन देने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात् भी पंचायत ने उस पर अपना निर्णय सूचित नहीं किया है तो यह माना जायेगा कि चाही गयी अनुमति पंचायत द्वारा दे दी गयी है।

4. पदधारी की निरर्हता की जानकारी -

(क) किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्राधिकारी को संबंधित पदधारी के विरुद्ध आवेदन या शिकायत करने पर। (ख) पंचायत या ग्राम सभा के इस आशय के प्रस्ताव पारित कर सूचित किये जाने पर। (ग) पंचायत के निरीक्षण के समय या तथ्य सामने आने पर निरीक्षणकर्ता की सूचना पर। (घ) पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दिये जाने पर। (ङ) स्वयं की जानकारी में अथवा प्रकरण प्रकाश में आया हो।

5. निर्वाचन -

निर्वाचन के लिये निरर्हताओं का निराकरण नामांकन पत्र स्वीकार करने वाला अधिकारी करेगा। इसके अलावा इस आधार पर धारा-122 के अधीन निर्वाचित पदधारी के विरुद्ध याचिका में यह मुद्दा उठाया जा सकता है।

6. पद रिक्त होने का आदेश देने हेतु सक्षम अधिकारी -

(1) ग्राम पंचायत के संदर्भ में - कलेक्टर

(2) जनपद पंचायत के संदर्भ में - कलेक्टर

(3) जिला पंचायत के संदर्भ में - संभागीय आयुक्त।

7. कारण बताओ सूचना पत्र -

संबंधित पदधारी के पद रिक्त होने का आदेश देने के पूर्व सहज न्याय हेतु सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा अन्यथा आदेश अवैध होगा। इस अवसर को देने के लिये तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कारण बताओ सूचना देना आवश्यक है। पदधारी को दिये जाने वाले नोटिस में निर्रहित होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि वह अपनी सुनवाई के समय अपने पक्ष में प्रमाण एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। किसी पदधारी को अपने पद पर बने रहने के लिये अयोग्य करार देने की प्रकृति अर्द्धन्यायिक स्वरूप की है। अतः न्यायालय की न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

8. आदेश का प्रभाव -

(क) ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त यदि संबंधित पदधारी को प्रश्नाधीन धारा के अन्तर्गत निर्रहित करार देता है और अपने आदेश में यह पद रिक्त घोषित करता है तो पदधारी आदेश के दिनांक से अपने पद पर नहीं रहेगा। आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी या सचिव को यथास्थिति भेजी जायेगी जो पद रिक्त होने की जानकारी से जानी जायेगी। (ख) पद रिक्त होने के आशय का आदेश जारी न होने तथा पदधारी अपने पद पर बना रहेगा। (ग) रिक्त पद की पूर्ति अधिनियम की धारा 38 के अधीन की जायेगी।

9. उपचार -

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के संदर्भ में संबंधित पदधारी कलेक्टर के आदेश/घोषणा के विरुद्ध संभागीय आयुक्त को विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। जिला पंचायत के संदर्भ में संभागीय आयुक्त के विनिश्चय के विरुद्ध अपील राजस्व मण्डल को विनिश्चय के दिनांक से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील में इस संबंध में पारित आदेश अंतिम होगा। संभागीय आयुक्त/राजस्व मण्डल के विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में संविधान की धारा 226 और 227 के अधीन याचिका दायर की जा सकती है।

❑ एन.पी. पंथी

ग्राम पंचायत क्षेत्र में भवनों के निर्माण की अनुमति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करना चाहे तो उसे निर्माण से पहले ग्राम पंचायत से निर्माण करने की लिखित अनुमति लेनी होगी।

शहरी क्षेत्र की भाँति ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ग्राम का विकास हो इसका पूरा-पूरा इन्तजाम किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण के लिये अधिकार दिए गए हैं। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 55 में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भवन का निर्माण, परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करना चाहे तो वह ऐसे निर्माण से पहले ऐसी अनुमति के लिए ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन इस हेतु नियत फीस के साथ करेगा जिसके साथ प्लान, साईट प्लान, भवन प्लान, सर्विस प्लान, विनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण का प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व या स्थल पर किसी वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण-पत्र, चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना और अधिनियम के अधीन इस संबंध में बनाई गई उपविधियों के अनुसार किसी भवन का परिनिर्माण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन भी भवन स्वामी नहीं कर सकता है एवं किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। भवन निर्माण करने का इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन प्राप्त ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा उसके आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर यदि ग्राम पंचायत भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह मानकर कि ग्राम पंचायत को उक्त भवन निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है और आवेदनकर्ता द्वारा यह मान लिया जाएगा कि उसे भवन निर्माण की अनुज्ञा ग्राम पंचायत द्वारा दे दी गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण की दी गई अनुज्ञा से हटकर यदि कोई व्यक्ति, किन्हीं ऐसी शर्तों के, जिनके अधीन अनुज्ञा नहीं दी गई है, किसी भवन का परिनिर्माण करता है, उसमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन करता है, या उसका पुनर्निर्माण करता है, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा ऐसा निर्देश देगी कि वह ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को रोक दें और सूचना में दर्शाई गई अवधि के भीतर ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को जैसी कि ग्राम पंचायत द्वारा लोक हित में अनुमति दी गई है परिवर्तित कर दें, किन्तु कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा तामील की गई सूचना में के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों का पालन सूचना में दर्शायी गई समयसीमा के भीतर नहीं करता है तो ग्राम पंचायत स्वयं ऐसी कार्यवाही जो ग्राम पंचायत द्वारा अपनी सूचना में अपेक्षित की गई है अनुसार भवन में सुधार हेतु कार्यवाही कर सकती है और उस पर आया व्यय उस व्यक्ति से वसूल कर सकेगी और ऐसे व्यय का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा उस तारीख से, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा माँग की सूचना तामील की गई है, तीस दिन के भीतर करेगा यदि उक्त व्यक्ति द्वारा समय सीमा के भीतर भवन के सुधार में आये व्ययों का भुगतान ग्राम पंचायत को नहीं किया तो उसकी वसूली उस व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के तौर की जावेगी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत द्वारा भवन अनुज्ञा के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा शर्तों का उल्लंघन करता है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रकरण बनाकर सौंपेगी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रकरण अपने न्यायालय में चलाया जावेगा तथा प्रकरण में व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर दण्डित भी कर सकेंगे। जो छह माह के साधारण कारावास या दो हजार रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके पश्चात् भी यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना निर्माण कार्य फिर भी चालू रखा जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के किसी निर्देश या सूचना के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को की जा सकेगी और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का ऐसी अपील पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

❑ जी.पी. अग्रवाल

डेयरी उद्योग ने बदली महिला पशुपालकों की जिन्दगी

भिण्ड जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम चांसड़ का पुरा में राज्य सरकार के अन्त्यावसायी सहकारी विकास निगम की निवेदिता स्वसहायता समूह विकास योजना संचालित करने के कारण उन्नत पशुपालन से दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होने से न सिर्फ चांसड़ का पुरा तेजी से श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि इससे हुई बेहतर आमदनी ने इस डेयरी उद्योग से जुड़ी महिला पशुपालकों की जिन्दगी बदल दी है।

भिण्ड से करीब ग्यारह किलोमीटर दूर कुंवारी नदी के किनारे बसे अनुसूचित जाति वर्ग के टोले चांसड़ का पुरा में रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य आधार दूसरों के यहां दिहाड़ी मजदूरी करना था। इन दिहाड़ी मजदूरों को जब कहीं काम नहीं मिलता था, तब उन्हें फांके भी करना पड़ते थे। इनके पास थोड़ी-बहुत जमीन तो थी, मगर वो इनकी आजीविका के लिए नाकाफी थी। दो साल पहले इस गांव के गरीबी उन्मूलन के लिये निवेदिता स्वसहायता समूह विकास योजना के तहत गांव की अनुसूचित जाति वर्ग की बारह महिलाओं का लक्ष्मी स्वसहायता समूह गठित कर उन्हें 1 लाख 20 हजार रुपये के अनुदान और 1 लाख 80 हजार रुपये की ऋण राशि मुहैया कराकर उन्नत नस्ल की 12 भैंसें दिलाई गईं। गांव में गठित इस पहले महिला स्वसहायता समूह के जरिए गाँव की ये महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं।

स्व सहायता समूह से जोड़ने के बाद गाँव की महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन आया है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय से जहाँ महिलाएं आत्म निर्भर हुई हैं वहीं अब घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कल तक जिनके घर झोंपड़ों में हुआ करते थे और बारिश में पानी टपकता था, आज वहां पक्के मकान नजर आने लगे हैं। यह बदलाव आया है राज्य सरकार की निवेदिता स्वसहायता समूह विकास योजना की पहल से। इस योजना ने इस गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी है।

जो पुरुष दिहाड़ी मजदूरी कर दो जून की रोटी जुटाते थे, आज वे मोटर साइकिल पर घूम रहे हैं। इन महिलाओं ने अपनी कमाई से अपने लिए गहनें बनवा लिए हैं और घर में टी.वी. सेट, कूलर, आलमारी जैसे संसाधन जुटा लिए हैं। उन्होंने खेती के लिये जमीनें भी खरीद ली हैं। जिन पर उनके पति खेती-बाड़ी करने लगे हैं। वे आज अच्छी साड़ियां पहन रही हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने भैंसों के लिए एक कुटी मशीन और आटा चक्की मशीन भी लगा ली है।

निवेदिता स्वसहायता समूह विकास योजना ने इन अनुसूचित जाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई रोशनी दिखाई और आज इन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन की राह खुद चुन ली है। कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव कहते हैं कि अनुसूचित जाति की इन महिलाओं ने डेयरी अभियान से गांव की तस्वीर ही बदल दी है। महिलाओं की बदौलत इन के परिवारों की जिन्दगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। अब यह ग्रामीण क्षेत्र न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि जिले को भी दूध सप्लाई कर रहा है। जिले में ग्रामीण स्तर पर शुरू किये गये स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।

❑ जे.पी. धौलपुरिया

13.5 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण

राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के जरिये अब तक 13 लाख 51 हजार 450 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। विभाग को कुल 13 लाख 53 हजार 960 आवेदन विभागीय सेवाओं के प्रदाय के लिये प्राप्त हुए थे। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में निराकृत प्रकरणों में नक्शा खसरा की प्रतिलिपि, भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिकाओं के प्रदाय, वन्य-प्राणियों से हुई फसल हानि के कारण राहत भुगतान, बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, प्राकृतिक प्रकोप से हुई शारीरिक अंग-हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, डुप्लीकेट ऋण-पुस्तिकाओं का प्रदाय, नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र और शोध्य क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रकरण शामिल हैं। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग-हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों का 30 कार्य दिवस में निराकरण करना होता है। इसी तरह तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी को खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का 5 कार्य दिवस में प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का 15 कार्य दिवस में, भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय 15 कार्य दिवस में, भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय 45 कार्य दिवस में और वन्य-प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन्य-ग्रामों में) 30 कार्य दिवस में निराकरण करना होता है। नजूल अधिकारी को एक माह में नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र और तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को (अपनी-अपनी अधिकारिता में 5 लाख रुपये तक) शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र 30 कार्य दिवस में जारी करना होता है। अनुविभागीय अधिकारी (25 लाख रुपये तक) और संयुक्त कलेक्टर (25 लाख रुपये तक) को शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र 45 कार्य दिवस की निर्धारित समय-सीमा में जारी करना होता है।

मतदान केन्द्रों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध

प्रदेश के मतदाता अपने मतदान केन्द्र की जानकारी, नक्शे एवं चुनाव से जुड़े अधिकारियों के फोन नम्बर जान सकें, इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर सुविधा दी गई है। इसके लिये मतदाता को निर्वाचन आयोग की साइट पर मतदान केन्द्र के लिये सूचना पर क्लिक करना होगा। मध्यप्रदेश के 53 हजार 194 मतदान-केन्द्र को गूगल मेप पर प्रदर्शित किया गया है। मतदाता को क्लिक करने पर राज्य का नाम दिखाई देगा, जहाँ पर मतदान केन्द्र के नक्शे उपलब्ध हैं। राज्य के नाम पर क्लिक करने पर नक्शे का पेज खुलेगा, जहाँ पर जिला, विधानसभा एवं मतदान केन्द्र का क्लिक बटन से चयन किया जा सकता है। मतदान केन्द्र के क्षेत्र विशेष को बड़ा (जूम) कर देखा जा सकता है। मतदाता सेटेलाइट चित्र में मतदान केन्द्र के भवन एवं प्रमुख मार्ग, सड़क आदि देख सकते हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र को नक्शे पर मतदान केन्द्र के चयन के लिये dropdown Pin पर प्रदर्शित पिन से संबंधित मतदान केन्द्र को देखा जा सकता है। चयन के बाद बैलून खोलने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ-लेवल अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर दिखाई देगा। नामावली के लिये वहाँ पर लिंक उपलब्ध करवाई गई है, जहाँ क्लिक करने पर मतदान केन्द्र की नामावली की पीडीएफ दिखेगी, जिसे मतदाता अपने कम्प्यूटर पर सुरक्षित (Save) कर प्रिन्ट भी ले सकते हैं।

83 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी

नर्मदा घाटी की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से चालू माली साल में 83 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। दिसम्बर 2012 तक 29 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हो चुकी है। वर्षान्त तक कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 83 हजार हैक्टेयर निर्मित की जायेगी। सिंचाई क्षमता का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुँचाने के लिये चालू वित्त वर्ष में 2 लाख हैक्टेयर रकबा सिंचित करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर काम करते हुए अब तक रबी फसलों के लिये 1 लाख 16 हजार 500 हैक्टेयर रकबे में सिंचाई जल सुलभ करवाया जा सका है। इस वर्ष के अंत तक वास्तविक सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 2 लाख हैक्टेयर किया जायेगा। बड़ी परियोजनाओं की निर्माण अवधि में ही कमाण्ड क्षेत्र के लोगों को सिंचाई लाभ देने की पहल के अंतर्गत निर्मित हो चुकी नहर संरचनाओं में जल प्रवाह किया जा रहा है। गत नवम्बर माह में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर में141 से 155 किलोमीटर के मध्य जल प्रवाहित कर कमाण्ड क्षेत्र के38 गाँव को सिंचाई जल उपलब्ध करवाया गया। नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना से माह दिसम्बर 2012 तक 2355 मिलियन यूनिट एवं ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना से 1018 मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन किया गया। अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना से चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर माह तक 1773 मिलियन यूनिट बिजली मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई।

170 करोड़ से अधिक की वसूली

मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दिसम्बर माह के अंत तक पूरे प्रदेश में 8 लाख 20 हजार 665 उच्च-दाब एवं निम्न-दाब उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जाँच की गई। इसमें से एक लाख 97 हजार 883 बिजली कनेक्शनों में अनियमितताएँ पायी गईं अथवा चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये। इन प्रकरण से एक अरब 70 करोड़ 37 लाख 10 हजार रुपये की राजस्व वसूली की गई। इस दौरान विशेष न्यायालयों में 54 हजार 433 बिजली चोरी और अनियमितता के प्रकरण भी प्रस्तुत किये गये। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जबलपुर, रीवा और सागर क्षेत्र में आलोच्य अवधि में कुल एक लाख 10 हजार 841 बिजली कनेक्शन की जाँच में से 37 हजार 798 में बिजली चोरी अथवा अनियमितताएँ पायी गईं। इन अनियमितताओं के विरुद्ध 25 करोड़ 66 लाख 44 हजार की राजस्व वसूली की गई। कम्पनी के अंतर्गत 11 हजार 314 बिजली चोरी या अनियमितता के प्रकरण विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में इस दौरान कुल 5 लाख 88 हजार 742 बिजली कनेक्शन की जाँच में एक लाख 13 हजार 704 कनेक्शन में बिजली चोरी अथवा अनियमितता के प्रकरण पकड़े गये। इन प्रकरणों में एक अरब 11 करोड़ 86 लाख 62 हजार रुपये की राजस्व वसूली की गई। इस दौरान 22 हजार 404 प्रकरण विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

कृषि कार्य के लिये 9.22 लाख अस्थाई बिजली कनेक्शन

मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू माली साल के दिसम्बर माह के अंत तक प्रदेश में कृषकों को सिंचाई पम्प और थ्रेशर कार्य के लिये 9 लाख 22 हजार 541 अस्थाई कनेक्शन दिए गए। इससे कंपनियों को लगभग 480 करोड़ 7 लाख 61 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई। पूर्व क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में आलोच्य अवधि में कृषकों को 3 लाख 69 हजार 911 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिये गये। इसमें सिंचाई पम्प के लिये 3 लाख 49 हजार 412 और थ्रेशर कार्य के लिये 20 हजार 499 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने से 130 करोड़ 49 लाख 10 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। मध्य क्षेत्र कंपनी क्षेत्र में इस दौरान कृषकों को एक लाख 93 हजार 142 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए। इसमें सिंचाई पम्प के लिए एक लाख 91 हजार 683 और थ्रेशर कार्य के लिये 1,459 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई कनेक्शन देने पर 124 करोड़ 30 लाख 97 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई। पश्चिम क्षेत्र कंपनी क्षेत्र में कृषकों को 3 लाख 59 हजार 488 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए। इसमें सिंचाई पम्प के लिए 3 लाख 57 हजार 287 और थ्रेशर कार्य के लिये 2,201 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने पर 225 करोड़ 27 लाख 54 हजार की राजस्व प्राप्ति हुई।

वेयर-हाउस नीति के उत्साहजनक परिणाम

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में घोषित वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति का तेजी से क्रियान्वयन शुरू हो गया है। पिछले साल गेहूँ के रिकार्ड के उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिये वेयर-हाउस नीति लागू की है। नीति के अन्तर्गत 15 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता निर्मित करने के लिए केपिटल तथा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।

नीति के तहत वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 10 जनवरी से प्रारंभ की गई। आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलना है, लेकिन पहले दिन ही इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। आवेदन लेने के एक घंटे के भीतर अर्थात् 11 बजे तक 15 लाख मीट्रिक टन की पूर्ण क्षमता के आवेदन प्राप्त हो चुके थे। पहले दिन दोपहर तक 217 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। पात्र आवेदकों द्वारा लगभग 35 जिलों में ऑनलाइन आवेदन भरने से मध्यप्रदेश सरकार की इस नीति की सफलता स्वमेव सिद्ध हो गई है। आवेदकों को प्रत्याभूति शुल्क जमा करने के लिए पाँच दिन का समय दिया गया था, लेकिन अनेक आवेदकों ने आवेदनों के साथ ही यह शुल्क जमा कराया। पाँच दिन बाद आवेदनों का विश्लेषण कराया जायेगा। वेयर-हाउस नीति को मिल रही सफलता दर्शाती है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में नीति तैयार कर आवेदन प्राप्त करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है। गोदाम बनाने की इस नीति में निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं के कारण उनमें भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। वेयर-हाउस नीति को सफल बनाने के लिए गत 9 अक्टूबर को भोपाल में निवेशकों की इनवेस्टर्स मीट भी आयोजित की गई थी। इनवेस्टर्स मीट के दौरान निवेशकों से सुझाव भी लिए गये थे। नीति के नियम बनाते समय भी इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया कि निवेशकों की अधिकाधिक भागीदारी हो ताकि भण्डारण की पुख्ता व्यवस्था मध्यप्रदेश में हो सके।

आई.टी.आई. को ब्रांड के रूप में विकसित किया जायेगा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित स्किल समिट कार्यक्रम में कहा कि स्किल डेवलपमेंट मिशन युवाओं को रोजगार और उद्योगों के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई.टी.आई. को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जायेगा और रोजगार कार्यालयों को बहुउद्देशीय बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं को कौशल देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को वाइब्रेंट बनाया जायेगा। प्रदेश में आई.टी.आई. को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जायेगा। रोजगार कार्यालयों को बहुउद्देशीय बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों लाल परेड ग्राउंड में आयोजित स्किल समिट में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री वैंकैया नायडू विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी मई अंत तक प्रदेश की हर गांव में24 घंटे बिजली मिलेगी। इससे प्रदेश के गांव-गांव में लघु उद्योग शुरू होगा। आज हर बड़ा उद्योग समूह प्रदेश में आ रहा है। इससे रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ेंगे। इन उद्योगों में 50 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले नये उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह स्किल समिट मध्यप्रदेश के विकास का महायज्ञ है। हमारा संकल्प है कि मध्यप्रदेश में देश का अग्रणी राज्य बनायेंगे। पिछले 9 सालों में सिंचाई क्षमता 7 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 21 लाख हैक्टेयर की गई है। इस साल इसे बढ़ाकर 25 लाख हैक्टेयर किया जायेगा। आज मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य है। नर्मदा का जल अब क्षिप्रा, कालीसिंध, गंभीर और पार्वती नदी में डालकर नदी जोड़ो परियोजना को मूर्त रूप दिया जायेगा। इससे करीब 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट मिशन युवाओं को रोजगार और उद्योगों के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान है। हमारे युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जायेगा कि वे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रोजगार कर सकें। युवा खुद अपना उद्योग शुरू करें इसके लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई गई है। इसमें 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी तथा5 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देने का संकल्प लें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में तकनीकी प्रशिक्षण के लिये आई.टी.आई. या कौशल विकास केन्द्र होगा। अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल विकासखंडों में 47 कौशल विकास केन्द्र, विशेष पिछड़ी जातियों के लिये विशेष कौशल विकास केन्द्र खोले जायेंगे। कृषि विभाग अलग से 5 कौशल विकास केन्द्र शुरू करेगा। कृषि के क्षेत्र में युवाओं को 20 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रदेश सरकार के 25 विभाग कौशल विकास मिशन चलायेंगे। लघु और मध्यम उद्योगों में गुणवत्तापूर्ण संसाधन और उपकरणों के लिये भोपाल, जबलपुर और सतना में टूल रूम स्थापित किये जायेंगे। आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिये 4 फिनिशिंग स्कूल शुरू किये जायेंगे। रोजगार कार्यालयों को बहुउद्देशीय बनाया जायेगा। ये केरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट का काम करेंगे तथा रोजगार मेले आयोजित करेंगे। बैतूल और धार की तरह अन्य जेलों में महिला बंदियों के लिये कौशल विकास केन्द्र खोले जायेंगे। एक सौ दस महाविद्यालयों और एक सौ पचास स्कूलों में कक्षा के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दी जायेगी। आई.टी.आई. को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया

(शेष अगले पृष्ठ पर)

शहरों-गाँवों में केश शिल्पियों के लिये स्थान चिन्हित होंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित केश शिल्पी पंचायत में घोषणा की कि संत शिरोमणि सेन महाराज की जन्मभूमि बांधवगढ़ में स्मारक के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि तथा धन उपलब्ध कराया जायेगा। संत सेन महाराज के साहित्य प्रकाशित कर समाज में वितरित किया जायेगा। केश शिल्पियों को परिचय पत्र दिये जायेंगे। सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को केन्द्र शासन को भेजा जायेगा। विभिन्न समाजों से संवाद स्थापित करने की श्रृंखला में यह पंचायत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित की गयी थी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत में केश शिल्पियों के लिये कई सौगातों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरों और गाँवों में केश शिल्पियों के लिये स्थान चिन्हित किये जायेंगे। आधुनिक तरीकों से व्यवसाय के लिये केश शिल्पियों को प्रशिक्षण के साथ महिलाओं को भी ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। शासन द्वारा केश शिल्पी समाज के युवाओं के स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की जायेगी। इसके अन्तर्गत इकाई लागत 50 हजार तक, 50 हजार से 2 लाख तक तथा 2 लाख से अधिक की सहायता दी जायेगी। ऋण लेने के लिये हितग्राही को बैंक गारंटी, ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी भी दी जायेगी। केश शिल्पियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना और राज्य बीमारी सहायता निधि में शामिल किया जायेगा। केश शिल्पियों के बच्चों को पहली कक्षा से छात्रवृत्ति दी जायेगी। केश शिल्पियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण की गारंटी दी जायेगी। जनश्री बीमा योजना में केश शिल्पी परिवारों को शामिल किया जायेगा। दुर्घटना में घायल होने या अपंगता की स्थिति में सहायता दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार केश शिल्पियों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। उनके मान-सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। इस अवसर पर सेन समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न संभागों से आये सेन समाज के प्रतिनिधियों ने सेन समाज के कल्याण के लिये सुझाव दिये।

भारतीय सेन समाज की मध्यप्रदेश शाखा के अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा ने कहा कि स्वतंत्र भारत में मध्यप्रदेश में यह पहली प्रार हुआ जब मुख्यमंत्री निवास में सेन समाज को आमंत्रित कर विकास के लिये मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश के लिये ऐतिहासिक दिवस बताया।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

जायेगा। हर आई.टी.आई. में प्लेसमेंट सेल और कम्प्यूटर लेब होगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि की जायेगी।

शिष्यवृत्ति-छात्रवृत्ति वितरण को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाया जायेगा। गांवों में रहने वाले कारीगरों के लिये कौशल दक्षता प्रमाणीकरण की प्रणाली विकसित की जायेगी। ग्लोबल स्किल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आई.टी.आई और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम, लेंग्वेज लैब और वाईफाई की सुविधा होगी। कौशल विकास प्रशिक्षण का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा। करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जायेगा। पॉलीटेक्निक कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप बदलाव किये जायेंगे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय नागरिकों में कला कौशल और बुद्धिमता की कमी नहीं है। भारतीयों ने ही विकसित देशों में अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से रोजगार देने के अभियान में आम लोगों सहित उद्योग समूहों की भी भागीदारी होना चाहिये। उन्होंने उद्योगों का आव्हान किया कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस काम में भागीदार बनें।

नि:शक्तजन पुनर्वास के लिए सरकार कृत-संकल्पित - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में आयोजित नि:शक्तजन विवाह समारोह में कहा कि राज्य सरकार नि:शक्तजनों के पुनर्वास के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार नि:शक्तजन कल्याण और उनके पुनर्वास के लिये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार नि:शक्तजन कल्याण एवं उनके पुनर्वास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना में लायन्स क्लब मयूरवन द्वारा आयोजित नि:शक्तजन विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने35 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समारोह की अध्यक्षता सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश का पहला विवाह सम्मेलन है, जिसमें 35 नि:शक्तजन विवाह बँधन में बँध रहे हैं। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में अगर पति-पत्नी में से कोई एक विकलांग है तो उसे 25 हजार और दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें50 हजार रुपये की सहयोग राशि सरकार देगी। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि नि:शक्तजन को ढूँढ-ढूँढ कर उनके कल्याण के लिए काम करें। श्री चौहान ने समारोह में शामिल उत्तर प्रदेश के चार नि:शक्तजन को भी सहयोग राशि देने के निर्देश कलेक्टर को दिये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि वे मुरैना जिले में सीतापुर नाम से नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की पूर्व में घोषणा कर चुके हैं। इसी के साथ मुरैना-ग्वालियर-शिवपुरी से निकली आगरा-मुम्बई हाई-वे के आसपास की सरकारी जमीन को इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित कर उद्योग लगाने के द्वार खोले जा रहे हैं। साधारण व्यक्ति को भी ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 144 नये उद्योग स्थापित कर उनके द्वारा उत्पादन करना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने गत दिनों भोपाल में युवा पंचायत में की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 लाख रुपये तक के उद्योगों के लिए पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार देगी। बैंक ऋण की शत-प्रतिशत गारंटी सरकार देगी। इसके साथ ही 50 हजार रुपये तक के उद्योगों के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सरकार देगी। कौशल विकास मिशन के जरिये 15 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'कृषि कर्मण' पुरस्कार के रूप में मध्यप्रदेश को 2 करोड़ की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मुरैना के कृषकों को भी बधाई दी।

सांसद श्री तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2003 तक मध्यप्रदेश की गिनती बीमारू राज्य में हुआ करती थी। उस समय इण्डस्ट्रीज, कृषि सहित अन्य कई विकास कार्य में हम पिछड़े थे। अब मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश इण्डस्ट्रीज सहित कृषि क्षेत्र में अग्रणी है।

इस अवसर पर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त-विकास निगम के अध्यक्ष श्री रुस्तम सिंह, विधायक सर्वश्री शिवमंगल सिंह तोमर, परसराम मुद्‌गल, कमलेश सुमन, मनीराम धाकड़, प्रदेश वन विकास निगम उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल मेवरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार एवं लायन्स क्लब के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कृषि उत्पादों को अच्छी कीमत पर बेचना किसानों का अधिकार - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किसानों को देश-विदेश में जहां भी अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिले वहां बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों इंटरनेशनल हार्टी एक्सपो-2013 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वयं अपनी खेती में किये गये उद्यानिकी प्रयोगों के अनुभवों को किसानों से साझा किया।

श्री चौहान ने कहा कि जीविकोपार्जन के लिये खेती से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। कृषि का परिदृश्य बदलें अपने परिश्रम से नया इतिहास रचें। सरकार इसमें हर संभव मदद करेगी। किसान परंपरागत खेती के साथ फलों-फूलों और अन्य उद्यानिकी फसलों की खेती शुरू करें। राज्य शासन खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ वर्ष पहले तक मध्यप्रदेश में खेती बहुत कठिनाई भरी थी। सिंचाई, बिजली आदि सभी में किसान परेशान थे। केन्द्र से गेहूँ मांगने पर प्रदेश के कम उत्पादन का उपहास होता था। इस शासन ने सिंचाई को प्राथमिकता दी। पिछले सात साल पहले जहां केवल 7 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी गतवर्ष बढ़कर 21 लाख हैक्टेयर हो गयी। अब अगले वर्ष सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 24 लाख हैक्टेयर किया जायेगा। नर्मदा के पानी को क्षिप्रा में डालकर मालवा को हरा-भरा बनाने की परियोजना का काम शुरू हो गया है। आगे प्रदेश के चंबल, ग्वालियर, विन्ध्य, बुदेलखंड में भी नदियों को जोड़कर खेतों को सिंचित करेंगे। बिजली की समस्या भी हल हो रही है। आगामी मई अंत तक हर गांव24 घंटे बिजली मिलेगी। प्रदेश में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा है, गेहूँ और धान में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा अब परंपरागत खेती से साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की ओर किसानों को ध्यान देना चाहिए। किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान फसलों का विविधिकरण करें। क्राप्स पेटर्न बदलें इससे किसानों को खेती में होने वाली आय बढ़ेगी। उद्यानिकी फसलें आधुनिक ढंग से की जायें तो ज्यादा लाभ होता है। उद्यानिकी फसलों के लिये किसान समूह बनाकर खेती करें। किसान और खेती आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा।

कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों में 15 प्रतिशत की विकास दर से वृद्धि हो रही है। होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा में उद्यानिकी हब बनाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सात संभागों में उत्कृष्ट उद्यानिकी नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिये मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है। खेती में18.9 प्रतिशत कृषि विकास दर के लिये केंद्र सरकार से मिले कृषि कर्मण अवार्ड से प्रदेश का किसान सम्मानित हुआ है। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मदनमोहन उपाध्याय ने कहा कि भारत फल-फूल सब्जी उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं।

कार्यक्रम में एम.पी. एग्रो के अध्यक्ष श्री रामकिशन चौहान और सी.आई.आई. के राज्य समन्वयक श्री आर.एस. गोस्वामी, कृषि उत्पादन श्री मदन मोहन उपाध्याय ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान की उपस्थिति में 47 कंपनियों ने किसानों से करारनामे किये। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उद्यानिकी की संबंध में सी.आई.आई. के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ हार्टी एक्सपो के अंतर्गत लगायी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आरंभ में स्वागत भाषण संचालक उद्यानिकी श्री अनुराग श्रीवास्तव ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, सी.आई.आई. के पश्चिमी क्षेत्र की चेयरमेन सुश्री चारू माथुर, प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री सुदेश कुमार, एम.पी. एग्रो के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। तीन दिवसीय इस एक्सपो में 85 कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें उद्यानिकी से जुड़ी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन यंत्रीकरण, बीमा, संरक्षित खेती, खाद-बीज के उपयोग सहित उद्यानिकी के लाभों से अवगत कराने के लिये सेमीनार आयोजित किये जा रहे हैं।

गेहूँ खरीदी 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी - मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी पंद्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर की जायेगी। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी में बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। किसानों की सुविधा के लिये बिजली की दर 1200 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष घोषित की गयी है। किसानों को साल में केवल दो बार बिल करना पड़ेगा। जिन किसानों के ऊपर बिजली की बकाया संबंधी प्रकरण चल रहे हैं उन्हें विशेष लोक अदालत लगाकर निराकरण किया जायेगा। सभी किसानों को उनकी भूमि के नक्शे खसरे और ऋण पुस्तिकाएं दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों जम्बूरी मैदान में आयोजित किसानों की महापंचायत यह घोषणायें कीं।

किसानों को विदेशों में होने वाली उन्नत खेती से परिचित कराने के लिये मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान विदेश भ्रमण योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने के लिये अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाया जायेगा और विशेष अभियान चलाकर मई माह तक सभी प्रकरणों का निपटारा कर दिया जायेगा। उन्होंने अच्छी खेती के लिये सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि हर साल छह लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ायी जायेंगी। खेती की एक-एक इंच जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। नर्मदा-क्षिप्रा नदी जोड़ो परियोजना का काम जल्दी पूरा हो जायेगा। इससे मालवा क्षेत्र के 3000 गांव और 72 शहरों को पानी मिलने के साथ ही 16 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खातों में लाभ की राशि जमा करने और अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिये सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग की जा रही है। फसल खरीदी के संबंध में उन्होंने कहा कि इस साल बारदानों की कोई कमी नहीं होगी। किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। वर्तमान में 108 मंडियों के परिसर में खरीदी की व्यवस्था की गयी है और 102 अतिरिक्त मंडियों में व्यवस्थाएं की जायेंगी। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जायेंगे। स्प्रिंकलर पर 80 प्रतिशत अनुदान का लाभ देने के लिये निर्धारित लक्ष्य में पांच गुना वृद्धि की जायेगी। कोदो-कुटकी उत्पादन वाले क्षेत्रों में 100 छोटे उद्योगों की स्थापना की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खेती-किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिये एसएमएस सुविधा प्रारंभ की जायेगी। किसानों के समूह बनाकर फलों के उत्पादन के लिये समूह खेती पर अगले पांच सालों में एक हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी प्रकार छिड़का पद्धति से खेती को समाप्त कर आधुनिक खेती के लिये 75 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल करने और कोदो-कुटकी के लिये समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया। मालवा क्षेत्र डोडा चूरा उत्पादन के संबंध में कहा कि यदि केंद्र द्वारा डोडा चूरा उत्पादकों से इसे जलाने के लिए कहा गया है तो इसके बदले उत्पादकों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाना चाहिए। उन्होंने डीएपी खाद के बढ़े दामों को किसानों के प्रति अन्याय बताते हुए कहा कि किसानों को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने केंद्र से खाद के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि डीजल के दाम बार-बार नहीं बढ़ने चाहिए।

श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में 25 से 50 प्रतिशत की फसल हानि को केन्द्र सरकार द्वारा नुकसान नहीं माना जाता। प्रदेश द्वारा इस प्रतिशत पर अपनी ओर से राहत दी जा रही है। हाल ही में पाला से फसल नुकसान की रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि तत्काल पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण करायें और राहत राशि प्रभावित किसानों को दें। प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाली क्षति में दी जाने वाली राहत राशि की अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार की जायेगी।

अटल ज्योति अभियान

गाँवों में 24 घंटे बिजली देने के नये युग की शुरुआत

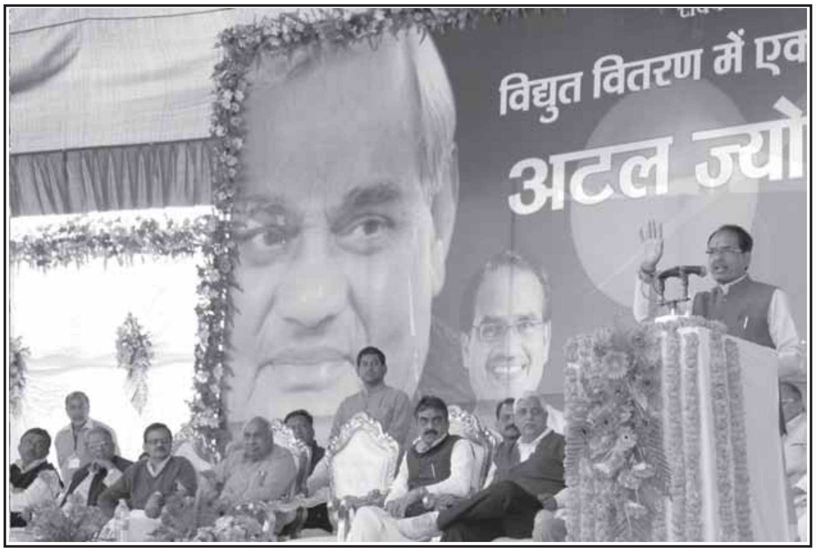

मध्यप्रदेश के गाँवों में 24 घंटे बिजली देने के नये युग की शुरुआत गत दिनों जबलपुर से हुई। जिले में फीडर विभाजन का काम पूरा होने के साथ सभी 1352 गाँव को अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। इन गाँव में किसानों को आठ घंटे बिना रुकावट के बिजली मिलेगी। इस अभियान में इसी वर्ष प्रदेश के सभी गाँव शामिल होंगे। जबलपुर के अलावा चरणबद्ध रूप से फीडर विभाजन कर यह सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध हो जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल जन-समूह को संबोधित करते हुए कहा कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का असंभव जैसा लगने वाला कार्य संभव कर दिखाया है।

उन्होंने कहा कि जबलपुर से हुई इस शुरुआत का पूरे प्रदेश के गाँवों में विस्तार होगा। राज्य सरकार प्रदेश में बिजली कटौती से मुक्ति देने के लिये संकल्पबद्ध है। फीडर विभाजन सहित इस अभियान के विभिन्न कार्यों में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने देंगे। मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से तो पहले ही निकल चुका है और यह तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है।

श्री चौहान ने राष्ट्रपति से प्रदेश को मिले **कृषि कर्मण** पुरस्कार की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र ने भी प्रदेश की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने मध्यप्रदेश को देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उगाने वाला राज्य बनाने का श्रेय किसानों को देते हुए कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना देश और प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती और न ही व्यापार चल सकता है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिये सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 21 लाख हैक्टेयर किया गया है। इसे अगले साल बढ़ाकर 24 लाख हैक्टेयर कर दिया जायेगा। बरगी का पानी गंगा बेसिन में ले जाने का अभियान चलाया जायेगा। सिंचाई की योजनाओं से प्रदेश में अंतिम छोर तक सिंचाई की जायेगी। उन्होंने किसानों के हित में केन्द्र सरकार से गेहूँ का समर्थन मूल्य 1600 रुपये करने की मांग की।

श्री चौहान ने ग्रामीण युवाओं का आव्हान किया कि वे बिजली की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए गाँवों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करें। उन्होंने बताया कि पचास हजार तक के छोटे रोजगार स्थापित करने पर मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों का अपमान करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। उनका डाटा बेस बनाया जायेगा और उन्हें सरकारी सुविधाओं, नौकरी से वंचित कर दिया जायेगा। उन्होंने लोगों से माँ-बेटियों का अपमान करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का आव्हान किया।

युवाओं के लिये **माँ तुझे प्रणाम** योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवार के साथ है। युवाओं को मातृभूमि के प्रति सम्मान जागृत करने के लिये सरहद दर्शन करवाने की अनूठी पहल सरकार करने जा रही है। श्री चौहान ने ऊर्जा विभाग और वितरण कंपनी के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि 24 घंटे अबाध विद्युत वितरण के लिये व्यवस्था को और अधिक सुचारु बनाने के लिये सतर्क और सजग रहें। उन्होंने उपभोक्ताओं से विद्युत उपलब्धता का न्यायसंगत उपयोग और बिजली चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में सरकार की मदद करने को कहा।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ रही है। उन्होंने अटल ज्योति अभियान को गाँव की समृद्धता का माध्यम बताया। ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प और नेतृत्व से राज्य का विद्युत उत्पादन 4000 मेगावॉट से बढ़कर 10 हजार 210 मेगावॉट हो गया है। अगले साल तक14000 मेगावॉट उत्पादन कर प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली देने की स्थिति में होगा। कार्यक्रम को पशुपालन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री अजय विश्नोई और स्थानीय सांसद श्री राकेश सिंह ने भी संबोधित किया।

ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए कैम्पस

मध्यप्रदेश के सुदूर गाँवों के गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) द्वारा विशेष पहल शुरू की गई है। इस उद्देश्य से विभिन्न जिलों में आयोजित 247 रोजगार मेलों के जरिये 1 लाख 34 हजार 654 से अधिक युवाओं का जॉब ऑफर के लिए चयन हुआ है। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के तहत 15 हजार 914 युवाओं को विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रोजगार मेलों के आयोजन की यह सार्थक पहल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं आई.एल.पी. द्वारा शुरू की गई है, जिसके काफी उत्साहवर्धक नतीजे सामने आये हैं। प्रदेश में संभवतः यह पहला अवसर है जब सुनियोजित रूप से विभिन्न कम्पनियों एवं नियोजकों द्वारा जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर जाकर युवाओं का रोजगार के लिए साक्षात्कार एवं चयन का काम किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति 2007 के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थाओं को आमंत्रित कर जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर रोजगार मेलों का सफल आयोजन कर इच्छुक युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 37 रोजगार मेले आयोजित कर 9 हजार 987 युवाओं को, वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 74 रोजगार मेले आयोजित कर 65 हजार 93 युवाओं को तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 (मार्च 2012 तक) कुल 105 रोजगार मेले आयोजित कर 54 हजार 20 युवाओं एवं वर्ष 2012-13 में अगस्त 12 तक 31 रोजगार मेले आयोजित कर 5 हजार 754 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्रोद्योग, डायमंड कटिंग, निर्माण उद्योग, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन, बायोप्लान्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाईल एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। भारतीय वायु सेना की तीन भर्ती रैली एवं भारतीय थल सेना की दो भर्ती रैली आयोजित की गईं जिनमें 2 हजार 319 युवाओं का चयन आर्मी एवं वायु सेवा में हुआ। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में अगस्त 2012 तक कुल 247 रोजगार मेलों के माध्यम से1 लाख 34 हजार 854 ग्रामीण युवाओं का रोजगार के जॉब ऑफर हुए चयन किया गया है।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 2 हजार 403 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार एवं स्व-रोजगार से जोड़ा गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3 हजार 376 युवाओं को, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 5 हजार 472 युवाओं एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में (अगस्त 2012 तक) कुल 4 हजार 505 युवाओं को आई.टी.आई., होटल प्रबंध संस्थान, रूडसेट, एल. एण्ड टी., इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी इंदौर, एम.पी. टूरिज्म भोपाल, महिला उत्कर्ष सामाजिक संस्था छतरपुर, नव ज्योति लूमैर हैण्डीक्राफ्ट ग्रामोद्योग भोपाल, दिव्य दृष्टि शिक्षा समिति, भारतीय लघु उद्योग विकास संस्थान अहमदाबाद, बैंकिंग, याशिका ब्यूटीपार्लर इंदौर, सेडमैप भोपाल, एम.के. एजुकेशनल एण्ड डेव्हलपमेंट सोसाइटी भोपाल, दुर्गाग्राम चेतना विकास संस्था जबलपुर, एन.आई.सी.टी. इंदौर, एस.आर.एम. चेन्नई, सेन्टम लर्निंग, एम.एस.एम.ई. इंदौर, स्टेमेटिक वेलफेयर सोसायटी भोपाल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल, सरस्वती एकेडमी भोपाल, फ्रीडम आर्गेनाइजेशन भोपाल, कैशवल सोल्यूशन प्रा.लि. भोपाल, टैली एकेडमी उज्जैन, जन भारतीय एन.सी.व्ही.टी. सागर ई.डी.आई. भोपाल, आई.एल. एण्ड एफ.एस. भोपाल, भास्कर फाउन्डेशन

भोपाल, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग संस्थान बानमोर, आईसेक्ट, ग्लोबल एकेडमी आदि संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार अगस्त2012 तक कुल 15 हजार 914 युवाओं को विभिन्न रोजगारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

इस क्रम में शिवपुरी जिले में आयोजित नेवी (जल सेना) भर्ती रैली में 2 हजार 216 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 107 प्रतिभागियों का चयन किया गया। इसी प्रकार सिंगरौली जिले में वायुसेना भर्ती रैली में6 हजार 397 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 428 प्रतिभागियों का जॉब आफर के लिए चयन हुआ। सागर जिले के बीना में हाल ही में सम्पन्न रोजगार मेले में लगभग1 हजार 225 ग्रामीण युवा शामिल हुए। मेले में 14 प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों ने भागीदारी की और 808 युवाओं को जॉब ऑफर के लिए चयन किया गया। इनमें 84 युवतियाँ भी शामिल हैं। मेले में व्यावसायिक परामर्शदाता के माध्यम से काउंसलिंग की गई और बेहतर रोजगार चयन के संबंध में बताया गया।

राज्य शासन की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति के क्रियान्वयन की श्रृंखला में नरसिंहपुर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन, अंत्योदय मेलों के साथ जिला प्रशासन के समन्वय से श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया। प्रायोगिक तौर पर ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेलों की शुरुआत जिले के चीचली ब्लॉक से की गई। रोजगार मेले की शुरुआत हुई और परिणाम आशानुरूप प्राप्त हुए। परिणामों से उत्साहवर्द्धन हुआ तथा क्षेत्र के विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस कार्य की सराहना की गई।

इस क्रम में चांवरपाठा विकासखण्ड के डोभी गाँव में अंत्योदय मेले के साथ रोजगार मेले का आयोजन होना तय हुआ। डी.पी.आई.पी. द्वारा रोजगार मेले की सफलता हेतु विशेष प्रयास शुरू किये गये। क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार किया गया। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्रों की कंपनियों को आमंत्रित किया गया। रोजगार मेले के दिन 15 कंपनियों ने भाग लेकर चयन एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डी.पी.आई.पी. द्वारा आयोजित रोजगार मेले का शुभारम्भ किया। तदुपरांत आपने रोजगार मेले में उपस्थित कंपनियों के स्टालों की जानकारी प्राप्त की। रोजगार मेले में लगभग 1 हजार 300 से अधिक युवाओं का जॉब ऑफर के लिए चयन किया गया।

परियोजना के जरिये गठित समहित समूहों के युवा सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पब्लिक-प्राइवेट कम्पनियों के माध्यम से चयन एवं भर्ती किये जाने की यह एक अनूठी पहल है। प्रदेश में स्थापित तथा निर्माणाधीन औद्योगिक इकाईयों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता रहती है। इसके लिए परियोजना के लाभान्वित हितग्राहियों के परिवारों में से योग्य युवा उम्मीदवारों का चयन कर संबंधित कम्पनियों द्वारा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए चयन किया जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से ये प्रयास भले ही छोटे लगें लेकिन ग्रामीण युवाओं को रोजगार के संदर्भ में यह पहल महत्वपूर्ण और एक नई दिशा देने वाली है। खास तौर पर भूमिहीन ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए यह पथ-प्रदर्शक की भांति है।

परियोजना की पहल पर सेवा क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश करते हुए प्रदेश में स्थित तथा प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न स्पिनिंग मिल एवं उद्योगों की मांग के अनुसार बेरोजगार युवाओं को चिन्हांकित कर उनके साक्षात्कार की व्यवस्था की गई। सेवा क्षेत्र में जाने वाले इच्छुक युवाओं को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सम्पर्क स्थापित कर जिला एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग व रोजगार, पुलिस, स्वास्थ्य आदि विभागों के सहयोग से जिला एवं जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेलों के माध्यम से नियोजकों एवं आवेदकों को एक ऐसा उपयुक्त मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें नियोजकों को अपनी आवश्यकतानुसार योग्य कर्मचारी-कामगार मिल जाते हैं। वहीं अभ्यर्थियों के सामने अपनी योग्यता के अनुरूप एक ही स्थान पर कई अवसर उपलब्ध होते हैं। इन मेलों में चार-पांच से लेकर बीस से पच्चीस तक विभिन्न क्षेत्र की कम्पनियों को एक स्थान पर आमंत्रित किया जाता है। मेलों में नियोजन की पूरी प्रक्रिया एक से दो दिन में पूरी कर ली जाती है।

राज्य शासन की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति 2007 के मुख्य उद्देश्य 'बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने' की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास एवं क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

ऐसे प्रशिक्षणों में ग्रामीण बी.पी.एल. युवकों को और अधिक लाभान्वित करने की मंशा के अनुरूप रीवा जिला रोजगार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि समन्वित आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत ऐसे ग्रामीण बी.पी.एल. युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, पुलिस सेवा अथवा वन रक्षक सेवाओं में कार्य करने की इच्छा रखते हैं किंतु पर्याप्त मार्गदर्शन, प्रशिक्षण के अभाव में उन्हें चयन सूची में स्थान नहीं मिल पाता है। उन्हें एक ऐसी दिशा दी जाये कि वे भी इस प्रकार की सेवाओं में अधिक से अधिक संख्या में चुने जा सकें। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को 'दिशा' के नाम से आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

❑ आर.बी. त्रिपाठी

पंचवन ने दिखाई आजीविका की नई राह

शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी अन्तर्गत झापर नदी के किनारे खड्डा नामक ग्राम स्थित है, यह ग्राम पटेल बाहुल्य आबादी वाला गाँव है जिनका कृषि कार्य से परम्परागत नाता है। इस गाँव में लगभग 945 परिवार रहते हैं साथ जो कि ज्यादातर कृषि कार्य के साथ कृषि मजदूर हैं। गांव से थोड़ी दूर एक बांध सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया गया है। जंगल से लगे होने के कारण दुर्लभ वन्य प्राणियों को गर्मी में पानी से सहज ही तृप्ति मिल जाती है। साथ ही साथ खेतों को सिंचाई के लिये पानी भी बाँध से प्राप्त हो जाता है।

बाँध के पास शासकीय भूमि पर ग्राम के सरपंच श्री बल्देव प्रसाद कोल एवं सचिव श्रीकान्त पटेल के द्वारा ग्रामीणों की मंशानुसार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामसभा में पंचवन बनाये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया। एस.डी.ओ. श्री बी.एल. ठाकुर द्वारा 12 हे. भूमि में पंचवन हेतु फील्ड का निरीक्षण करते हुए जल्द ही कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई। उक्त पंचवन की 12 हे. से सम्बद्ध भूमि पूरी तरह से शासकीय थी परन्तु एक चौथाई हिस्से में मुनेस कोल, विजयपाल बैगा एवं दयाशंकर पटेल का कब्जा था। पंचायत एवं ग्रामीणों की आम सहमति से सभी जमीन देने को तैयार हुए। आज पंचवन में आंवला, अमरूद एवं अन्य फलदार हरियाली से आच्छादित पौधों की देखभाल मुनेस कोल, विजयपाल बैगा एवं दयाशंकर पटेल द्वारा की जाती है जिससे 25 हजार तक पौधे लगाये गये95 प्रतिशत पौधे जीवित हैं जिनकी 1.5 वर्ष में ऊँचाई 06 से 07 फिट तक हो गई है। उक्त पंचवन 25.50 लाख का पाँच वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें आज की स्थिति में बाउन्ड्री फिनिशिंग/हैण्डपम्प सहित 30 प्रतिशत अल्प व्यय में किया गया है, उक्त कार्य में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ब्यौहारी शहडोल सराहनीय योगदान रहा। ग्रामीण जो जमीन के मालिक हैं, मजदूरी दी जाती है आँवला 02 वर्ष बाद प्राप्त होने लगेगा, जिसे समूह के माध्यम से आंवले की बिक्री करने की तैयारी के साथ आंवले से बने उत्पाद जैसे जैली, मुरब्बा, अचार, पाउडर, चूर्ण इत्यादि हेतु समूह अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। उक्त पंचवन में लगे हुए 12000 आंवले के पेड़ों से अनुमानित एक सीजन में 25 से 30 हजार की आमदनी हो सकेगी, साथ ही पेड़ों के बड़े होने पर यह आय प्रतिवर्ष दो गुनी होना स्वाभाविक है। जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा मंशानुरूप किये गये वृक्षारोपण को स्व सहायता समूहों की निगरानी में भी सुपुर्द किया जा सकता है जिससे स्व सहायता समूहों को नियमित आर्थिक आजीविका का साधन सुलभ होगा साथ ही गाँव में लघु उद्योग को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा जिससे बेरोजगारों का भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभान्वित होना निश्चित है।

❑ आकांक्षा सिंह

मनरेगा से आई ग्रामीणों में खुशहाली

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) किसानों के साथ-साथ मजदूरों के लिये भी वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत शिवपुरी विकासखण्ड के ग्राम ख्यांवदाकला में रांपी नदी में बनाए गए स्टाप डेम के पानी के उपयोग से ग्रामीणों में खुशहाली आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रांपी नदी पर 04 लाख 79 हजार रुपये की लागत से स्टाप डेम का निर्माण किया गया। इस स्टाप डेम के निर्माण कार्य से ग्रामीण मजदूरों को 03 हजार 247 मानव दिवसों का रोजगार मिला। स्टाप डेम के बन जाने से30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की भूमि भी सिंचित हुई हैं तथा क्षेत्र का 0.20 मीटर के जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। निर्मित स्टाप डेम की 11 हजार घनमीटर जलग्रहण क्षमता है। स्टाप डेम के बन जाने से किसानों का 30 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिला जिससे किसानों को गत वर्ष रबी सीजन में 15 से 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के मान से अतिरिक्त लाभ हुआ। इस स्टाप डेम के निर्माण होने से 20 परिवारों को स्थाई सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हुए हैं।

सब्जी की खेती ने साकार किया सपना

भिण्ड जिले के गोहद के श्री नारायण सिंह बाथम ने राज्य सरकार की मदद की बदौलत अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी लिखी है, जिसने बागवानी व्यवसाय को अलग पहचान दी है। दसवीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब नारायण सिंह को कहीं नौकरी नहीं मिली, तो उनसे अपनी खाली पड़ी जमीन पर गेहूं की फसल बोना शुरू किया। मगर पांच हैक्टेयर जमीन होने के बावजूद यह पानी की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। वह पारंपरिक रूप से बारिश के पानी के भरोसे मुश्किल से थोड़ी बहुत गेहूं की फसल ले पाता था, जो परिवार के लिए नाकाफी थी। वह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करने को विवश था। कई बार मजदूरी ना मिलने के कारण उसे फांकाकशी का भी सामना करना पड़ा था। वह बैलों से खेतों की जुताई करता था। उसके पिता उसको खुद के ट्रेक्टर से खेतों में जुताई करते और खुद के आलीशान मकान में रहते देखना चाहते थे। मगर जीते जी पिता की चाहत पूरी ना हो सकी।

इन्हीं दिनों उसने राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग से संपर्क साधा। ग्रामीण अंचल काश्तकारों को बागवानी क्षेत्र में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य ने जो बयार चलाई, उसके तहत उद्यानिकी विभाग ने नारायण सिंह को न केवल अनुदान पर स्प्रिंकलर, दवा छिड़कने के उपकरण, वर्मी कम्पोस्ट, बीज, खाद, दवाएं तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराए, बल्कि सब्जियां उगाने के लिये तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया।

फिर क्या था, इस मदद से नारायण सिंह ने मिर्च एवं बैंगन की फसलें उगाईं। पहली बार में उन्होंने एक लाख रुपये की सब्जी फसलों का कारोबार किया।

वाकई शासकीय मदद से प्राप्त संसाधनों की बदौलत नये सिरे से शुरू की गई सब्जी की खेती से मानो चमत्कार हो गया और उसकी जिन्दगी बदल गई। आज वह अपने पांच हैक्टेयर खेतों में बैंगन, मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, तोरई, लौकी, धनिया, मूली, टिण्डा, बंदगोभी, फूलगोभी, मटर, भिण्डी, हल्दी एवं खरबूजा की जबरदस्त पैदावार ले रहा है और सालाना कम से कम दस लाख रुपये की कमाई कर रहा है। वह गेहूं, चना एवं सरसों की फसल अलग से लेता है। यही नहीं, वह औसत ढाई हजार मजदूरों को सालभर रोजगार भी देता है। कभी जो हाथ काम मांगने को उठते थे, वही आज दूसरों को काम दे रहे हैं।

सब्जी की आमदनी से न केवल उसने आलीशान मकान बनाकर ट्रेक्टर खरीदकर अपने स्वर्गीय पिता के सपने को साकार किया, बल्कि अपने छोटे भाई की शादी भी की। सिंचाई के लिये बांध से भूमिगत पाईपलाईन डलवाई व दो मोटरें भी ले लीं। एक मोटर साइकिल और दो डीजल पंप खरीदे। तीन बोर कराए और दो कुएँ खुदवाए एवं डेढ़ बीघा जमीन खरीदी। अप्रत्याशित रूप से नारायण सिंह की सब्जियों का व्यापार बढ़ा है। यह न केवल भिण्ड में, बल्कि जिले के बाहर भी अपना बाजार पा रहा है जिसमें काफी मुनाफा भी हो रहा है। नारायण सिंह के पड़ोसी समझ नहीं पा रहे हैं कि नारायण सिंह के पास इतना पैसा कब और कैसे आया। वह आश्चर्यचकित हैं। नारायण सिंह आज जिले का प्रमुख सब्जी उत्पादक है और सब्जी उत्पादन में करीब पच्चीस पुरस्कार जीत चुका है। नारायण सिंह कहता है ' 'अन्य फसलों की तुलना में सब्जियों की पैदावार में कई गुना अधिक फायदा है। सब्जी उत्पादन के लिये मिली सरकारी मदद उसके लिए वरदान बन गई। आज बड़े-बूढ़े काश्तकार भी उससे सलाह लेने आते हैं।"

सब्जी की खेती के प्रति ग्रामीणों की बढ़ती रुचि के सिलसिले में कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया, "बागवानी फसलों के जरिए किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है। इसके लिए भिण्ड जिले में सब्जी उगाने के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।'' बहरहाल, जिले में काश्तकारों को सब्जी से लक्ष्मी तक पहुंचाने की उद्यानिकी विभाग की योजना परवान चढ़ रही है।

❑ जे.पी. धौलपुरिया

किसानों ने नहर सुधार कर सिंचाई रकबा बढ़ाया

सब मिलकर काम करें तो हर लक्ष्य पाना आसान है, शाजापुर जिले के साजोद जल उपभोक्ता संथा के किसानों ने जनसहभागिता से अपनी नहर सुधार कर और सिंचाई रकबा बढ़ाकर इस उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। लखुन्दर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गठित साजोद जल उपभोक्ता संथा के किसानों ने नहर सुधार के लिए जनसहयोग से धनराशि एकत्रित की और मेहनत कर नहर के रिसाव को बंद किया। इससे उनकी नहर का पानी दूरस्थ अंचल तक गया और पानी का सदुपयोग हुआ। पहले बहुत सारा पानी रिस कर व्यर्थ चला जाता था।

15 वर्ष पुरानी, कच्ची नहर से रिसाव की समस्या पर काबू पाने के लिए संथा के सदस्य किसान एकत्र हुए, उन्होंने आपस में संवाद कायम किया और बैठक में निर्णय लिया कि गांव के स्तर पर ही नहर को ठीक किया जाए। किसानों ने जन सहयोग से धनराशि एकत्र की और एल.पी.डी. फिल्म खरीदी। एल.पी.डी. फिल्म एक शीट होती है जो नहर से रिसाव बंद करने के काम आती है। एल.पी.डी. फिल्म को रिसाव के स्थान पर बिछा कर उस पर मिट्टी का कार्य (Earth work) किया गया। जन सहभागिता से किया गया यह कार्य सफल रहा और रिसाव बंद हो गया। उक्त नहर से जहाँ केवल 500 हैक्टेयर में सिंचाई होती थी और नहर में पानी केवल दस किलोमीटर तक जाता था, वहीं रिसाव बंद होने के पश्चात् 1500 हैक्टेयर में सिंचाई हुई और पानी 28 किलोमीटर दूर तक, नहर के अंतिम छोर तक गया। संथा अध्यक्ष श्री शिवनारायण विश्वकर्मा ने कहा कि सिंचाई रकबा बढ़ने से उत्साहित किसान अब नहर को अपनी संपत्ति समझने लगे हैं। वे नहर में तोड़फोड़ नहीं करते हैं और जनसहयोग तथा परिश्रम से नहर को और अधिक सुधारने के लिए तत्पर हो गए हैं।

❑ चन्द्रशेखर साकल्ले

मछली-पालन से आया जीवन में सुधार

खण्डवा जिले के मोरटक्का के बेरोजगार अजय की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ उस पर परिवार के खर्च का बोझ भी था। एक बार उसे मोरटक्का में सहायक मत्स्य अधिकारी मिल गये। उसने अपनी परिस्थिति बतलाई तो उन्होंने अजय को आस-पास का कोई तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालने की सलाह दी।

अजय ने बताया कि उसने 1.95 हैक्टेयर का मोरटक्का तालाब तीन साथी के साथ मछली-पालन के लिये 10 वर्षीय पट्टे पर लिया। शासन ने उसे 15 दिवसीय प्रशिक्षण देकर 25 हजार की सहायता दी। अजय ने वर्ष 2009-10 में 25 हजार फिशरलिंग तालाब में संचय कर चार-पाँच माह बाद थोड़ी मछली निकालना शुरू कर दिया। इस प्रकार तालाब से 1200 किलो मछली का उत्पादन हुआ, जिसे उसने बाजार में बेचा। लगभग35 से 50 रुपये प्रति किलो बेची गई मछली से उसे लगभग 48 हजार रुपये का फायदा हुआ। दूसरे साल50 हजार फिशरलिंग का संचय हुआ जिससे उसे पुनः 80 हजार रुपये की आय हुई। इसके बाद प्रति वर्ष निरंतर 10 से 15 हजार रुपये की ज्यादा आय प्राप्त की जा रही है। अब उसके समूह द्वारा मछली-पालन से प्राप्त आय से हाथ-ठेला पर होटल व्यवसाय आरंभ किया गया है।

पंच-परमेश्वर योजना से मिली सड़क की सौगात

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से पंच-परमेश्वर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के प्राथमिकता वाले कार्य करवाने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की गई।

झाबुआ जिले की जनपद पंचायत थांदला के ग्राम पंचायत बेड़ावा में पंच-परमेश्वर योजना के तहत 4 लाख 92 हजार रुपये लागत के 200 मीटर सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण नान फलिया में किया गया। निर्माण कार्य में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉबकार्ड धारी परिवारों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। गांव में बनी सीमेंट कांक्रीट सड़क ग्राम के आंगनवाड़ी भवन के सामने से जा रही है। सड़क बन जाने से गाँव के नान फलिया के छोटे बच्चे एवं महिलाएं बरसात में भी आसानी से आंगनवाड़ी में जा सकेंगे। जब रोड नहीं बनी थी तब वर्षाकाल में छोटे बच्चों एवं महिलाओं को कीचड़युक्त मार्ग से गुजरना पड़ता था। अब छोटे बच्चों एवं उनकी माताओं को आंगनवाड़ी में आने-जाने में भी कोई असुविधा नहीं होगी।

गांव के ही युवक दलसिंह ने बताया कि पंच-परमेश्वर योजना की वजह से गांव के आंतरिक मार्ग कीचड़मुक्त हो जायेंगे जिससे वर्षाकाल में आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि सड़क हमारे घर के सामने बनी है, जिससे घर के सामने अब बरसात में कीचड़ नहीं होगा। ग्राम पंचायत बेड़ावा के सरपंच श्री दिलीप भूरिया ने बताया कि इससे पहले कभी भी इस तरह ग्राम पंचायत को प्राथमिकता तय कर काम पर पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस योजना से गाँव की छोटी-छोटी परेशानियां पंचायत स्तर पर ही दूर हो रही हैं। ग्राम पंचायत के सचिव श्री जोसफ कटारा ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया एवं ग्राम के नान फलिया में सड़क बन जाने से फलियावासी काफी प्रसन्न हैं।

❑ अनुराधा गहरवाल

कपिलधारा कूप से राघवेन्द्र बने स्वावलंबी और समृद्ध

सीधी जिले की जनपद पंचायत के ग्राम तेन्दुआ के श्री राघवेन्द्र अपनी मेहनत और दृढ़-संकल्प से स्वावलंबी बन गये हैं। राघवेन्द्र की खेती सिंचाई सुविधा न होने से भगवान भरोसे थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वे 30 रुपये प्रति घंटा पानी खरीदकर खेत की सिंचाई भी नहीं कर पाते थे। इससे पाँच एकड़ खेती में इतनी उपज नहीं होती थी कि परिवार का साल भर का गुजारा हो सके।

ऐसे में मनरेगा की कपिलधारा कूप निर्माण योजना का फायदा उनके खेत को भी हुआ। कूप का खुदना था कि वे उसके सही उपयोग से खेती की बढ़िया पैदावार लेने लगे। सिंचित खेती होने से राघवेन्द्र साल भर परिवार के खाने के अनाज की पैदावार के साथ बेचने के लिए सब्जी भी उगाने लगे। गत सीजन में राघवेन्द्र ने 30 क्विंटल गेहूँ, 6 क्विंटल चना, 8 क्विंटल धान, 3 क्विंटल आलू, 2 क्विंटल प्याज एवं अन्य हरी सब्जियों की पैदावार प्राप्त की। पानी की उपलब्धता को देखते हुए राघवेन्द्र ने डेयरी प्रारंभ की। वर्तमान में राघवेन्द्र के पास 5 जर्सी गाय और एक भैंस है। कुल30 लीटर दूध मिल रहा है। तीस रुपये लीटर के हिसाब से वे दूध बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड

मध्यप्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये विगत दिनों नई दिल्ली में कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रदेश को यह पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष सिम द्वारा जोड़ने के संपर्क सेतु कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने गत दिनों राजधानी भोपाल में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव से सौजन्य मुलाकात की। जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने विदिशा के सिरोंज में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन किया।

मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड

मध्यप्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2011-12 का 'कृषि कर्मण अवार्ड' से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार के तहत दो करोड़ राशि की पुरस्कार निधि के साथ ट्राफी तथा प्रशंसा-पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ कृषि मंत्री डॉ.

रामकृष्ण कुसमरिया तथा राज्य के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री तारिक अनवर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री एल.के. आडवाणी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र हुड्डा तथा विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित थे। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कृषि कर्मण अवार्ड का उद्देश्य खाद्यान्न फसलों में उत्पादन वृद्धि के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। कृषि कर्मण अवार्ड को दो मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया, जिसके तहत मध्यप्रदेश को 80 पाईंट-खाद्यान्न उत्पादन में पिछले पाँच साल में अधिकतम उत्पादन, पिछले पाँच साल में उत्पादकता में सर्वोत्तम बढ़ोतरी, 2011-12 में उपार्जन में बढ़ोतरी के लिए तथा शेष 20 पाईंट के एन.एफ.एस.एम. वेबसाइट पर डाटा अद्यतन, प्रयोग/पहल, कृषि उत्पादन अभिलेखीकरण बढ़ाने के लिए किए गए नवाचार/पहल, मुख्य विभाग के साथ अन्तर विभागीय समन्वय और भागीदारी और पूर्वानुमान की गुणवत्ता शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-12 के दौरान कुल216.08 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हासिल किया जो एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। इससे पूर्व 2010-11 में खाद्यान्न फसलों का अधिकतम उत्पादन 166.41 लाख मीट्रिक टन था। गेहूँ के उत्पादन में भी वर्ष 2011-12 में 127.53 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया गया। वहीं गेहूँ की प्रति हैक्टेयर अधिकतम उत्पादकता वर्ष 2010-11 में 2065 किलोग्राम थी जो वर्ष 2011-12 में 2609 किलोग्राम तक पहुँच गई है।

मुख्यमंत्री ने किया संपर्क सेतु योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को विशेष सिम द्वारा जोड़ने के **'संपर्क सेतु'** कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 77 हजार सिमकार्ड वितरित की जा रही हैं। आशा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा

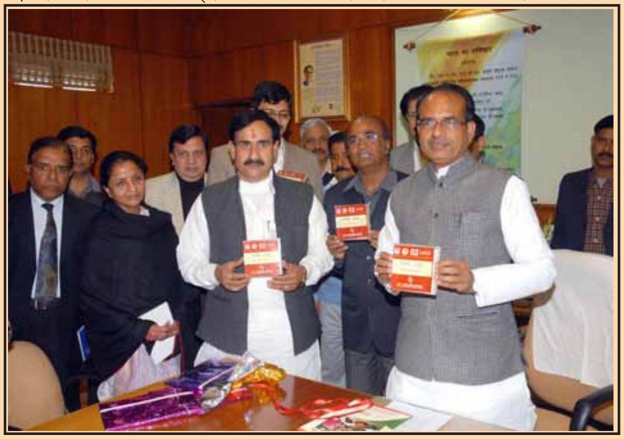

विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में मोबाइल द्वारा प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के ग्राम गोपालपुरा की आशा कार्यकर्ता श्रीमती निर्मला मकवाना से बात की और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिये स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान से विभाग की सेवायें और बेहतर बनेंगी। दूरस्थ क्षेत्रों के लिये तत्काल सूचनाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला जीवंत संपर्क में रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले की आशा कार्यकर्ता से सीधे बात करते हुये विभाग की तमाम योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि टीकाकरण कार्यकर्ताओं का भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं, क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मौके पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की सीडी स्वास्थ्य सरगम और आशा मार्गदर्शिका के ब्रोशर का विमोचन भी किया।

राज्यपाल से मिले पंचायत मंत्री

राज्यपाल श्री रामनरेश यादव से विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने राजभवन में मुलाकात की।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भवन का भूमि पूजन

जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा गत दिनों सिरोंज में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के भवन का भूमि-पूजन किया और वहीं कृषि उपज मण्डी प्रांगण में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सिरोंज कृषि उपज मण्डी प्रदेश की सबसे अच्छी मण्डी बने, इसके लिये पंचवर्षीय कार्य-योजना बनाई जायेगी। श्री शर्मा ने नव-निर्वाचित सदस्यों से कहा कि वे किसानों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें।

जनपद पंचायत भवन का भूमि-पूजन - जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सिरोंज में जनपद पंचायत भवन का भूमि-पूजन किया। उन्होंने जनपद पंचायत प्रांगण में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासीय मिशन के 94 हितग्राही को 56 लाख 40 हजार

रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 4 हितग्राही को 10-10 हजार रुपये और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के6 हितग्राही को 5700-5700 रुपये के चेक दिये।

महेश्वर और चंदेरी वस्त्रों की ब्रांडिंग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने गत दिनों मुम्बई में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की मध्यप्रदेश उत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निर्मित सर्वोत्तम चंदेरी तथा माहेश्वरी वस्त्रों की ब्रांडिंग करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पीढ़ीगत कारीगर बड़ी मेहनत और लगन से वस्त्र बनाते हैं, जिसका उनको सही मूल्य मिलना आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी के प्रत्येक स्टॉल पर जाकर कारीगरों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कारीगरों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये अनुदान योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये अनुदान योजना की जानकारी दे रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को पैक्स/लैम्पस के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये अनुदान

योजना का उद्देश्य और स्वरूप- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पैक्स/लैम्पस का एक अंश खरीदने और सदस्य बनने में समर्थ न होने के कारण अनुसूचित जाति के सदस्य को 45 रुपये के मान से तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को 200 रुपये के मान से अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

कार्यक्षेत्र और पात्र हितग्राही- संपूर्ण प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- संस्थाओं की ओर से प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वीकृति के बाद राशि संबंधित सहकारी बैंक के माध्यम से संस्थाओं को उपलब्ध करवा दी जाती है। इस राशि से उक्त वर्ग के हितग्राही को संस्था का सदस्य बना लिया जाता है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को संस्था से संपर्क स्थापित कर एक साधारण प्रार्थना-पत्र संस्था को प्रस्तुत करते हुए कि वह संस्था का सदस्य बनना चाहता है, इच्छा व्यक्त करनी होगी।

स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी जिले के उप/सहायक पंजीयक हैं।

संपर्क- पैक्स/लैम्पस के समिति सेवक और संस्था का अध्यक्ष।

जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये ब्याज-रहित ऋण

योजना का उद्देश्य और स्वरूप- इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक सदस्य को जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण जिला विकास बैंकों का सदस्य बनाने और उसके अंश खरीदने के लिए प्रत्येक सदस्य को 500 रुपये अथवा ऋण प्राप्ति का पाँच प्रतिशत तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यक्षेत्र- योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही- संपूर्ण राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषक।

संपर्क- जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंक।

प्राथमिक विपणन समितियों के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अनुदान

योजना का उद्देश्य और स्वरूप- इस योजना में प्राथमिक विपणन समितियों के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को 100 रुपये के मान से अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

कार्यक्षेत्र- योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही - संपूर्ण राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति।

संपर्क- प्रबंधक, प्राथमिक विपणन सहकारी समिति।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को पैक्स/लैम्पस के माध्यम से उपभोग/सामाजिक उपभोग ऋण

योजना का उद्देश्य और स्वरूप- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को शोषण से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि सामाजिक कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिये ऐसे वर्ग के सदस्य को

500 रुपये की सीमा तक उपभोग ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यक्षेत्र- संपूर्ण मध्यप्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही- अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य, जिस पैक्स/लैम्पस का सदस्य है, वह अपनी संस्था को आवेदन कर संस्था की ओर से राशि प्राप्त कर सकता है। इस राशि को स्वीकृत करने का अधिकार संस्था का है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के अल्पावधि ऋणों पर मूल से ज्यादा देय ब्याज हेतु अनुदान (दामदुपट योजना)

योजना का उद्देश्य और स्वरूप- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा 10 वर्ष से अनधिक अवधि के ऋणों पर मूल से ज्यादा ब्याज की वसूली न करना।

कार्यक्षेत्र- संपूर्ण मध्यप्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों के 10 वर्ष से अनधिक अवधि के ऋण की देय राशि जिसमें मूल से ज्यादा ब्याज हो गया हो, इस योजना अंतर्गत चयनित किये जाते हैं।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया- ऋणी सदस्य की बकाया मूल से ज्यादा ब्याज की राशि के अन्तर की प्रतिपूर्ति संस्था को शासन द्वारा की जाती है।

वन

लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय

उद्देश्य- निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।

पात्र हितग्राही- 1. निजी भूमि पर खड़े वनों/वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों, पड़ती भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के इच्छुक भूमि स्वामी। 2. जिन पंचायतों के क्षेत्र में राजस्व विभाग के बड़े झाड़-छोटे झाड़ के जंगल/पड़ती जमीन हो और उस पर वानिकी विकास करने के इच्छुक ग्राम पंचायतें।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- योजना का क्रियान्वयन वन विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाता है। वन विभाग क्रियान्वयन में नोडल भूमिका निभाता है। **संपर्क-** वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं

उद्देश्य- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- 1. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं है, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है। 2. वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध करवायी जाती है। 3. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी स्थानीय बाजार से वनोपज प्राप्त कर सकते हैं। 4. स्वयं के उपयोग अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता के अनुसार गिरी, पड़ी, मरी और सूखी लकड़ी लाने की सुविधा है। निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्धतानुसार बसोड़ परिवार को एक वर्ष में अधिकतम 500 बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

वन्य-प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति

उद्देश्य- वन्य जीवों द्वारा हमला होने पर सहायता।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र तथा क्रियान्वयन- योजना में वन्यप्राणियों के हमले से किसी व्यक्ति के घायल या मृत होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

प्रभावित घायल या मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पा सकते हैं-

1. मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये तथा इलाज पर हुआ व्यय। 2. घायल होने पर 20,000 रुपये (अधिकतम)। 3. स्थायी रूप से अपंग होने पर 75,000 रुपये एवं इलाज पर हुआ व्यय। 4. घायल होने पर तात्कालिक सहायता 1000 रुपये तथा मृत्यु होने पर 5000 रुपये तात्कालिक आर्थिक सहायता परिवारजनों को देने का प्रावधान है, जो कुल क्षतिपूर्ति में समायोजित की जायेगी। योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।

विशेष- सादे आवेदन में घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी को देना अनिवार्य है।

वन्य-प्राणियों द्वारा निजी मवेशी/पशुओं को मारे जाने पर सहायता

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के आधार पर उपलब्ध करवायी जाती है। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि- 1. निजी पशु मारे जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो। 2. मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो तथा उसके शरीर पर किसी प्रकार का लेप नहीं किया गया हो या उसके घाव पर विष न भर दिया गया हो। 3. मवेशी के मारे जाने की घटना का सत्यापन, वन विभाग के अधिकारी, जो कम से कम **वन परिक्षेत्राधिकारी** के पद का हो, द्वारा किया गया हो।

संपर्क- प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा लिखित रूप में निकटतम वन अधिकारी को दी जाने चाहिए।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद के अवसर बढ़ायें

हाल ही में सम्पन्न महापंचायत में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने पंचायत प्रतिनिधियों से आमने सामने बात की है उसके बाद से ही हमें आपके ऐसे ढेरों पत्र मिल रहे हैं जिससे ऐसे संवाद आयोजनों की बात हो रही है। शाजापुर से वीरेन्द्र गौड़ ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बात अपने पत्र में लिखी है तो पांढुर्ना से हेरम्ब शुक्ला ने सरकार को वीडियो मैगजीन शुरू करने की सलाह अपने पत्र में दी है। आपके पास भी ऐसा कोई प्रस्ताव हो तो उठाईये पेन और लिखिए एक पत्र। हमें 'आपकी बात' की प्रतीक्षा है।

अब वीडियो कान्फ्रेन्सिंग भी होनी चाहिए

सम्पादक जी! ग्रामोत्थान के लिए संवाद की कायमी के लिये त्रिस्तरीय महापंचायत के सफल आयोजन के बाद अब सरकार को संवाद के और भी आयोजन करना चाहिए। इस दिशा में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जिस प्रकार सरकारी अमले और जनसाधारण से संवाद के लिए 'परख' के जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग करते हैं इसी तर्ज पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की भी तिमाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे पंचायतें तो लाभान्वित होंगी ही सरकार को भी फीड बैक मिलेगा।

वीरेन्द्र गौड़
ए.बी. रोड, शाजापुर (म.प्र.)

सरकार एक वीडियो मैगजीन भी निकाले

सम्पादक जी! बतौर साफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद में नौकरी करते हुए मुझे पता चला कि मेरे अपने गृह जिले की कई ग्राम पंचायतें ई-पंचायतों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में राज्य शासन को चाहिए कि वो सरकारी मुखपत्र 'मध्यप्रदेश संदेश' और विभागीय पत्रिका 'मध्यप्रदेश पंचायिका' के तर्ज पर एक प्रतिनिधि 'वीडियो मैगजीन' भी निकाले ताकि गाँव वाले पंचायत भवन के कम्प्यूटर पर सरकारी योजनाओं और विकास के बारे में जान सकें।

हेरम्ब शुक्ला
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा) म.प्र.

हौंसला अफजाई का लाभ मिलेगा

सम्पादक जी! प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पं. गोपाल भार्गव ने पिछले दिनों पंचायत समन्वय अधिकारियों के कामकाज की जो हौंसला अफजाई की है उसका लाभ सरकार को आने वाले समय में जरूर मिलेगा। पंचायत समन्वय अधिकारियों का राज्यस्तरीय कैडर बन जाने के बाद ये अधिकारी अपने कामकाज को और भी बेहतर अंजाम देंगे जिससे ग्रामीण विकास कार्य में तेजी आयेगी।

मेघना गुजराती
मोती बाग, सेन्धवा

चिट्ठी चर्चा

प्रदेश सरकार ने संवाद की शक्ति को पहचाना

बड़वानी जिले के तहसील मुख्यालय पानसेमल से गंगाराम ठाकुर ने हमें पिछले दिनों भोपाल में आयोजित महापंचायत की तारीफ में एक बड़ी चिट्ठी लिखी है। गंगाराम जी लिखते हैं कि इस पंचायत में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री जी ने पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आमने सामने चर्चा की उससे हमारे कस्बे के जनपद अध्यक्ष और पंच-सरपंचगण बड़े खुश हैं। वे लिखते हैं इस महापंचायत को शासन ने "ग्रामोत्थान के लिये संवाद" - शीर्षक दिया था। सचमुच, इस आयोजन से संवाद की शक्ति प्रमाणित हुई है। सरकार को इस प्रकार की महापंचायत का आयोजन हर साल करना चाहिए ताकि ग्रामोत्थान की दिशा में आने वाली अड़चनों को समय पर दूर करके निर्बाध ग्राम विकास की राह बन सके।

एक चिट्ठी हमें भिण्ड जिले के रौन कस्बे से श्रीमती सरस्वती कुशवाहा की भी मिली है। श्रीमती कुशवाहा 'नर्मदा अभियान' को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती हैं और गाँवों में इस अभियान से खुले में शौच से मुक्ति का एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इस अभियान से ग्रामीण महिलाओं को खुले में शौच की शर्मिन्दगी से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही असुरक्षा के भय से भी मुक्ति मिलेगी। इसी योजना की प्रशंसा में छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम खजरी से ठाकुर राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब मैं अपने ठेकेदारी के काम पर अपने चार पहिया वाहन से अलसुबह निकल पाता हूँ। पहले मैं गाँव से बाहर जाने के लिए दिन निकलने का इन्तजार करता था। ठाकुर साहब इस मर्यादा अभियान को 'देर आयद मगर दुरुस्त आयद' कदम बताते हैं।

आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए मगर इस व्यय साध्य जिम्मेदारी के लिए धन का अभाव सबसे बड़ी चिंता होती है। इस चिन्ता को दूर करने में केन्द्र प्रवर्तित 'बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड' एक वरदान जैसा है यह बात शहडोल से हमारे एक पाठक नमोनारायण मिश्रा ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। मिश्रा जी लिखते हैं कि गाँवों में इस योजना के तहत बनने वाले आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पंचायत भवन केवल ईंट-गिट्टी या सीमेन्ट की इमारतें ही नहीं ग्रामीण विकास की इबारतें भी हैं। नमोनारायण मिश्रा ने इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक-एक परिवार को प्रत्येक पंचायत में 'अपना घर' बनाने की योजना को जारी रखने की बात भी अपनी चिट्ठी में लिखी है।

बात पते की -

अन्न पात्र

वृद्ध, निराश्रित, निर्धन को भोजन करवाना।
इस दायित्व को शासन ने अब है पहचाना।।
अन्न पात्र योजना से अब मिल जायेगा खाना।
वृद्धों की पीड़ा को शासन ने पहचाना।।

नरेन्द्र सिंह दांगी
जवाहर बाल भवन, भोपाल

माह का पत्र

किचन शेड उपयोगी निर्माण है

सम्पादक जी! राज्य शासन ने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में हर बार समीक्षा पश्चात जो सुधार किये हैं उससे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में काफी आसानी हुई है। मध्यान्ह भोजन के रूप में स्कूली बच्चों को गर्म एवं पका भोजन मिले इसके लिए साठ हजार रुपये की लागत से किचन शेड का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। किचन शेड इस एक कार्यक्रम के परिचालन में एक उपयोगी निर्माण है और इससे मध्यान्ह भोजन में तयशुदा भोजन बच्चों को दिया जा सकेगा।

श्रीमती निशा शुक्ला
9/1 भवानी सागर, देवास (म.प्र.)

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

फरवरी 2013 के लिए इस बार विषय है -

क्या आपकी ग्राम पंचायत में पंच-परमेश्वर योजना लागू हुई?

माह की कविता

पंच-परमेश्वर योजना

पंच-परमेश्वर योजना,
प्रगति की पहचान।
एकीकृत बजट से हो गया -
अब विकास आसान।।
गाँव गाँव में पक्की गलियाँ
गलियों में नाली निर्माण।
आँगनवाड़ी भवन बने तो
हुआ बाल कल्याण।।
ई-पंचायत भवन से,
बढ़ी गाँव की शान ।।1।।
पंच-परमेश्वर ....
रोशन हुई गाँव की गलियाँ
सौर ऊर्जा ने किया कमाल।
सौर पम्प से खेत हैं सिंचित,
हुआ किसान खुशहाल।।
गैर पारंपरिक ऊर्जा से,
बढ़ा गाँव का मान ।।2।।
पंच-परमेश्वर ....
गाँव-गाँव बन गये कियोस्क अब
शिल्पी का बढ़ गया है मान।
परिसम्पत्ति रखरखाव का
पंचायत रखेगी ध्यान।।
हैण्डपम्प के रख रखाव का
बना नया सोपान ।।3।।
पंच-परमेश्वर ....

सचिन शुक्ला
33, नेहरू नगर, भोपाल

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल